The present Government, as I said it quite often, has made a slight compromise and has decided to go by Amartya Sen's philosophy or Amartya Sen's economics. I don't like to call it economics; it is more Amartya Sen's moral philosophy calling it an *'aam aadmi* philosophy', and there is a slight rider to that. The *aam aadmi,* in the new lexicon, is not somebody who does a certain vocation. But *aam aadmi* is a person who becomes an *aam aadmi* by birth. The Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the minorities, and the Muslims are the people who are special targets of the assistance programmes of this Government.

Since 1980, Sir, I have been fighting for the people, who are poor, of a particular vocation. There will be land-holding farmers or they would be landless labourers, I have been fighting for them. And it is this class for which we always hope, particularly when the Finance Minister talked of his 'Sweet Dream Budget', that there will be something for them because they are committing suicides.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Sharad Anantrao Joshiji, you can continue after five o' clock.

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: Thank you, Sir.

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS

Providing Special Economic Package for the development of the Vidarbha region - *Contd.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Datta Meghe to continue his Resolution.

श्री दत्ता मेघे (महाराष्ट्र) : महोदय, दिनांक 24.02.2006 को मैंने अपना निम्न संकल्प उपस्थित किया था कि - "इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विदर्भ, महाराष्ट्र राज्य का एक पिछड़ा क्षेत्र है, यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह इस क्षेत्र के और तीव्र विकास के लिए एक विशेष कार्य योजना बनाए और विशेष कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करे।"

उपसभापति महोदय, विदर्भ हमारा क्षेत्र है और हम महाराष्ट्र में रहते हैं। महाराष्ट्र में जो विकास हो रहा है, वह महाराष्ट्र के हर क्षेत्र में बराबर होना चाहिए, लेकिन इस दृष्टि से विदर्भ क्षेत्र के साथ अन्याय हुआ है। महोदय, मध्य प्रदेश, जिसकी नागपुर राजधानी थी, उसको छोड़कर हम लोग 1960 में महाराष्ट्र में आए थे। उस वक्त के हमारे नेता श्री यशवंत राव चव्हाण जी ने उस वक्त हमको कहा था कि खासतौर से हम विदर्भ, मराठवाड़ा और रूरल

महाराष्ट्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन तब से आज तक विकास के हर काम में विदर्भ से अन्याय हुआ है।

महोदय, विदर्भ भारतवर्ष का एकमात्र ऐसा प्रदेश है, जिसको संविधान की धारा 371(2) के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया है। पूरे भारतवर्ष में ऐसा और कोई प्रदेश नहीं है, जिसको संविधान के अंतर्गत धारा 371(2) में विशेष दर्जा दिया गया हो।

1960 में महाराष्ट्र की स्थापना हुई, उस वक्त श्री यशवंत राव जी ने विदर्भ के विकास के लिए कुछ निश्चित आश्वासन दिए थे, लेकिन विदर्भ आज भी ज्यों का त्यों, पिछड़ा और अविकसित प्रदेश है। विदर्भ के विकास हेतु आश्वासन दिए जाने के बावजूद आज तक हमें कुछ नहीं मिला है। मैं अपनी बात पूरी डिटेल में कहूंगा और इसकी तुलना भी करुंगा कि कैसे-कैसे हरेक क्षेत्र में हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है।

महोदय, विदर्भ क्षेत्र में 95 शहर और 15,830 गांवों का समावेश है। इस प्रकार इतना बड़ा क्षेत्र विदर्भ में आता है कि एक पूरा राज्य बन सकता है। जब राज्य पुनर्रचना आयोग का गठन हुआ था, उस वक्त इस बारे में सिफारिश हुई थी कि विदर्भ राज्य बन सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार बने, उस वक्त संयुक्त महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था, उसमें हमारे विदर्भ के लोग महाराष्ट्र में आए थे और उस वक्त उनको कुछ आश्वासन दिए गए थे। इसके लिए पंडित नेहरु जी ने कहा था कि आप लोगों को हम शिक्षा, रोजगार और विकास के क्षेत्र में पूरी मदद करेंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ।

महोदय, आज विदर्भ की कुल 97,411 स्क्वेयर किलोमीटर जमीन में से 61,23,300 हैक्टेयर जमीन फसल के नीचे आती है, जिसमें से केवल 8,77,000 हैक्टेयर जमीन के लिए ही सिंचाई की सुविधा है। विदर्भ का कुल वनक्षेत्र 26,67,000 हैक्टेयर है, अर्थात वन सम्पत्ति के लिए यह प्रदेश सम्पन्न है। यहां 8 बड़े सिंचाई बांध हैं और 61 मध्यम बांध हैं। कुल कृषि पम्पों की संख्या 2,64,311 है, अर्थात सिंचाई के बहुत ही कम साधन विदर्भ में हैं।

मूलभूत सुविधाओं के कामों में, जैसे सिंचाई, रास्ते, कृषि पम्पों का विद्युतीकरण, मूलभूत उद्योग क्षेत्र, विद्युत, कृषि, सड़क योजनाओं तथा रोजगार आदि सभी क्षेत्रों में विदर्भ महाराष्ट्र की तुलना में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है।

विदर्भ में जो सिंचन क्षेत्र है, वह कुल 97.69 लाख हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र है, जिसमें से 51.07 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में खेती होती है। पूर्व विदर्भ में प्राणहिता, इंद्रावती, निम्न गोदावरी, वैनगंगा और गोदावरी तथा पश्चिम विदर्भ में वर्धा, पैनगंगा, काटेपूर्ण आदि नदियां हैं। इसके बावजूद यहां बड़े प्रकल्प पूर्ण नहीं हुए हैं और अन्य मध्यम तथा लघु प्रकल्पों की हालत भी ठीक नहीं है। विदर्भ की कुल 51.07 लाख हैक्टेयर खेती में से 28.68 लाख हैक्टेयर जमीन सींची जा सकती है। 1995 के नागपुर अधिवेशन में महाराष्ट्र सरकार ने विदर्भ के 3500 करोड़ खर्च के सिंचन प्रकल्प 1999 तक पूरे करने की घोषणा की थी, किन्तु निधि उपलब्ध न करा पाने के कारण ये सारे प्रकल्प अब तक फाइलों में बंद पड़े हैं। आज के मूल्यों के अनुसार आज विदर्भ में सिंचाई पर 7000 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च बैठता है। 1997 में सिंचन महामंडल की स्थापना की गई, जिसके तहत 10 बड़े प्रकल्पों को पांच साल के अन्दर पूरा करने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक इनमें से एक भी बांध पूरा नहीं हुआ। इस महामंडल को 1998 में

4 बड़े, 27 मध्यम एवं 55 लघु सिंचाई प्रकल्प पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई थी, किन्तु पैसा न होने के कारण ये सारे 86 प्रकल्प जैसे थे, उसी स्थिति में पड़े हुए हैं। महामंडल को पांच वर्ष के भीतर ये 86 सिंचाई प्रकल्प पूरे करने की जिम्मेदारी दी गई थी, अगर ये पूरे हो जाते तो उनसे 12,87,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई की जा सकती थी। विदर्भ सिंचाई महामंडल के दस सिंचाई प्रकल्पों को अभी भी 74,000 हेक्टेयर जमीन का भूअर्जन करना है, जिसमें 11,412 हेक्टेयर जमीन वन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है और जिसके लिए भारत सरकार के पास कई वर्षों से प्रस्ताव पड़े हुए हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि कम से कम सिंचाई की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए।

मुझे मालूम है कि विदर्भ के अन्दर सिंचाई के संबंध में हम सभी पार्टियों के लोग एक साथ हैं फिर चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो अथवा कांग्रेस हो। हम सबने मिलकर एक मंच भी बनाया था। उस समय वहां पर श्री अलेक्जेन्डर साहब राज्यपाल थे और हमने उनसे प्रार्थना की थी कि राज्यपाल को दिए गए विशेषाधिकारों के अंतर्गत आपको 371(2) का अधिकार प्राप्त है। इसके तहत आप महाराष्ट्र की सरकार को यह आदेश दे सकते हैं कि जो काम अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं, उन्हें पूरा किया जाए। अलेक्जेन्डर साहब महाराष्ट्र के बहुत ही सीनियर राज्यपालों में से एक रहे हैं और उन्हें पूरे महाराष्ट्र के संबंध में बहुत अच्छी जानकारी भी है, उन्होंने बहुत सोच-समझ कर उन्हें सिचाई के बारे में आदेश भी दिए कि विदर्भ के अन्दर अमुक-अमुक प्रोजेक्ट्स के लिए इतना-इतना पैसा इन्हें दे दीजिए। लेकिन, महोदय, आज मुझे बहुत दु:ख के साथ यह कहना पड़ता है महाराष्ट्र की सरकार ने राज्यपाल के आदेश का भी उल्लंघन करने का काम किया है। उन्होंने 60,000 करोड़ का लोन लिया और उसे खर्च कर दिया लेकिन विदर्भ के अन्दर सिंचाई के क्षेत्र पर कुछ भी खर्च नहीं किया गया। इस तरह से सिंचाई के क्षेत्र में विदर्भ के ऊपर बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इसी कारण आज हमारे यहां किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है, हमारे विदर्भ के ग्यारह जिलों के अन्दर आज हर रोज़ पांच-दस आत्महत्याएं हो रही हैं। इस तरह किसानों के लिए सिंचाई की उचित व्यवस्था का अभाव है, उन्हें कपास के उचित दाम भी नहीं दिए जाते हैं, इस प्रकार आज वहां की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है।

सर, हम महाराष्ट्र के नागरिक हैं। हमें फ़ख्र है कि हम महाराष्ट्र जैसे अच्छे क्षेत्र के अन्दर रहते हैं। महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या दो करोड़ से भी अधिक है और उसके 21 प्रतिशत लोग विदर्भ के अन्दर निवास करते हैं, तो कम से कम हमें हमारा हिस्सा तो दिया जाना ही चाहिए। विदर्भ के लिए जो योजनाएं बनाई गई थीं और राज्यपाल ने भी इस संबंध में आदेश दिया था, लेकिन उसका भी उल्लंघन किया गया।

मैं केन्द्र सरकार से यह अपील करूंगा कि आप राज्य सरकार को निर्देश दीजिए, जब हमें एमपी से महाराष्ट्र के अन्दर शामिल किया गया, तब ये सभी बातें कही गई थीं। उस समय आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन आज पश्चिमी महाराष्ट्र के लोग सरकार से जो कुछ भी मांग करते हैं, फिर चाहे वह किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो, उसे पूरा किया जाता है। सारा पैसा वहीं पर खर्च कर दिया जाता है और हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा प्रकल्प जो आज एक राज्य का रूप ले सकता था, उसकी सिंचाई के संबंध में महाराष्ट्र की सरकार ने कुछ भी नहीं किया है।

सर, आप उद्योग क्षेत्र की बात लीजिए तो उद्योगों एवं औद्योगीकरण की दृष्टि से विदर्भ आज बहुत ही पिछड़ा हुआ है। 1995 के आंकड़ों के अनुसार नागपुर डिवीज़न में 2624 उद्योगों का पंजीकरण हुआ, जिसमें 89,240 कामगार है तथा अमरावती विभाग में 1166 उद्योगों का पंजीकरण हुआ है, जिनकी कामगार क्षमता 34,964 है। 1996 से एक भी नया बड़ा उद्योग विदर्भ में स्थापित नहीं हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने विदर्भ में प्रति एक लाख लोगों के पीछे उद्योग कामगारों की संख्या 687 बताई है, किंतु यही परिमाण पश्चिम महाराष्ट्र तथा मुम्बई में 1680 है, जिससे पता चलता है कि विदर्भ में उद्योगों का अनुशेष कितना बढ़ा है।

महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक कामगारों का अगस्त 2004 का ग्राहक मूल्य निर्देशांक अगर हम देखें तो जो चित्र हमारे हमारे सामने उभरता है, उसके अनुसार मुम्बई - 610, पुणे - 583, औरंगाबाद - 557, कोल्हापुर - 558, नासिक - 560 पर है, जबकि इनकी तुलना में अगर हम विदर्भ को देखें तो नागपुर का निर्देशांक 539 और अकोला का 519 आता है। इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि विदर्भ का कामगार भी ग्राहक मूल्य की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है।

विदर्भ में जमीन, खनिज, कोयला, बिजली तथा पानी बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। विदर्भ प्रदेश मुख्य रेलवे लाइन तथा हवाई सेवा से जुड़ा है जो कि उद्योगों के लिए आवश्यक है। बुटीबोरी, हिंगणा, कलमेश्वर, नांदगावपेठ ये पंचतारांकित उद्योग संकुल एमआईडीसी ने बनाए हैं, किन्तु वहां उद्योग नहीं आ रहे हैं।

इसका कारण केन्द्रीय सरकार की उदासीनता, औद्योगिकीकरण के मामले में राज्य के अन्य हिस्सों की तुलना में जहां विदर्भ क्षेत्र में कोई भी नया उद्योग न केन्द्र सरकार ने खोला है और न महाराष्ट्र सरकार इसके लिए आगे आती है। जितने भी धंधे वाले बड़े-बड़े लोग हैं, नासिक, पूना, औरंगाबाद ज्यादातर वहां ही जाते हैं। जब हम उस राज्य के हैं, कम से कम सरकार की तरफ से यहां के लिए योजना बननी चाहिए। लेकिन उद्योग के क्षेत्र में भी हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने 10 दिसम्बर, 1996 को घोषित किया था कि 31मार्च, 1999 तक विदर्भ के लघु उद्योग का अनुशेष सम्पूर्णत: दूर कर दिया जाएगा। लेकिन यह सिर्फ घोषणा ही रह गई। जिस विदर्भ क्षेत्र में भारी मात्रा में बिजली निर्मित होती है, हमारे विदर्भ में 50 प्रतिशत बिजली हम निर्माण करते हैं जबकि हमको उसमें से 10-15 प्रतिशत ही बिजली मिलती है। हमारे यहां कोयले की खदानें हैं। हमारे यहां से बिजली नागपुर से मुम्बई तक सब उधर ही जाती है। हमारे यहां किसानों को 12-12, 15-15 घंटे बिजली नहीं मिलती है। आज हमारे यहां किसानों को बिजली नहीं मिल रही है जबकि बिजली हम ही पैदा कर रहे हैं। लेकिन सरकार बड़े लोगों की है, उधर मजॉरिटी ज्यादा है, हमारे पास 66 एम0एल0एज0 हैं, बाकी के 228 उधर हैं। इसका मतलब है कि जिसके पास ज्यादा ताकत है, ज्यादा सुविधा है उन्ही को ज्यादा बिजली मिल रही है, जबकि बिजली हम पैदा करते हैं। अच्छा है मुरली जी आप इधर हैं, आपको सब पता है, उनको पूरे महाराष्ट्र की जानकारी है। सिर्फ हमको हमारा स्टेट दे दीजिए, उसको क्यों रोक कर रखा है।

श्री मुरली देवरा (महाराष्ट्र) : गैस का बंदोबस्त किया है आपकी बिजली के लिए।

श्री दत्ता मेघे : बहुत-बहुत आभारी हूं। अगर आप जैसे मंत्री रहें तो मुम्बई की और हमारे विदर्भ की काया पलट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि...**(व्यवधान)**... बिजली पैदा करने के बाद हमें बिजली नहीं मिल रही है।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : दत्ता मेघे जी,आप इधर देखकर बात करें।

श्री दत्ता मेघे : आप विदर्भ में उद्योगों को परिपूर्ण बिजली उपलब्ध नहीं है। कृषि मोटर पम्पों को बिजली नहीं है। विदर्भ में मॉगनीज, कोरंडम, चूना, डोलोमाईट, क्रोमाईट, कायनाईट आदि अनेक प्रकार के खनिजों का भंडार छिपा है जिनका उत्खनन न होने से यह क्षेत्र ऐसे ही पड़ा है। इनका आरक्षण हटाया गया तो इस क्षेत्र में करोड़ों का उत्पादन हो सकता है क्योंकि वहां वनीय जमीन है, जिससे बहुत फायदा है। वहां झुग्गी जंगल बोलते हैं। वहां रास्ते में कुछ भी नहीं है। यहां जंगल में लोग रहते हैं। वहां कोई उद्योग नहीं, वहां पानी की भी कोई सुविधा नहीं है। वहां जो हमारे लोग होते हैं वे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। हमारा जो भांवड़ा गढ़ का इलाका है, वहां नक्सलाइट लोग ज्यादा हो गए हैं। वहां खनिज सम्पत्ति है लेकिन वहां ऐसे कुछ कायदे-कानून हैं जिसे हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं और इनको बाहर निकलवाने के लिए सरकार भी कोई काम नहीं कर रही है।

विदर्भ में तेंदू पत्ता है, मछुऑ उत्पादन है, कागज उद्योग, गोंद पर प्रक्रिया, आयुर्वेदिक वनस्पतियों पर प्रक्रिया, हार्ड बोर्ड उद्योग, बांबू पर प्रक्रिया उद्योग, कपड़ा मिलें और बुनकारी के उद्योग भी वहां बहुत बड़े पैमाने पर थे। हमारे यहां मॉडल मिल थी, काफी मिल्स थी। लेकिन सब बन्द हो गईं। हमारे यहां कपास होता है, हमारी मिलें बंद कर दी। यह हालत है। हमारे यहां का कपास सब जगह जाता है लेकिन हमारे यहां जो पुरानी टाटा वगैरह की मिल थी जिसमें हजारों कामगार काम कर रहे थे, वे सब बन्द हो गई और लोग आज भूखे मर रहे हैं। जो मिलें बंद हो गई हैं उनकी जमीन वगैरह बेचने का काम चल रहा है। हमारे यहां जो पहले उद्योग थे वे सब बंद हो गए तथा उनकी जगह नए उद्योग नहीं आए। उपसभापति महोदय, यह बहुत दुख की बात है।

विदर्भ में केन्द्र सरकार के भी कुछ उद्योग आने वाले थे। जैसा मैंने उस दिन कहा कि हमारे यहां कोच फैक्टरी आने वाली थी, जिसको डिक्लेयर किया गया था तथा इसके लिए जगह भी दे दी गई थी। लेकिन मंत्री बदल गए, फैक्टरी चली गई। लोगों ने खुश होकर जगह दी थी, अभी भी जगह पड़ी हुई है। वहां कोच फैक्टरी के लिए देश का मध्य वर्ग भाग है, इससे वहां कामगारों को काम मिलेगा। लालू जी कह रहे थे कि दो जगह देंगे। हमारे यहां तो पहले से ही दिया हुआ था, वह भी ले गए। कम से कम इसको तो दीजिए। वहां फैक्टरी देने से उद्योगों को बढ़ावा तो मिलेगा। वह भी नहीं कर रहे हैं।

उपसमापति महोदय, विदर्भ कृषि का क्षेत्र है। वहां आज कृषि की हालत बहुत गंभीर है। विदर्भ में पश्चिम माल तक खेती करने वाला आदमी नहीं मर रहा है, मुम्बई का आदमी नहीं मर रहा है। लेकिन विदर्भ के 11 के 11 जिले में इसके बारे में आप रोज पेपर पढ़िए कि वहां लोग आत्म हत्या कर रहे हैं। वे किसान है, गरीब किसान हैं, वे कर्जा नहीं दे पाते हैं, उनके ऊपर साहूकारों का कर्जा है, वे आत्महत्या करते हैं, विदर्भ के 300-400 किसानों ने अभी तक आत्महत्याएं की हैं, वहां की इतनी खराब हालत है। विदर्भ में कृषि क्षेत्र की स्थिति बहुत दयनीय है। वहां पर सिंचाई के साधनों का अभाव है, बिजली की पूर्ति न होने से विदर्भ में सूखी खेती होती है। विदर्भ क्षेत्र कपास, धान, सोयाबीन, संतरा आदि कृषि उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। अपने देश में कपास उत्पादन क्षेत्रों में से देश का 25 प्रतिशत क्षेत्र विदर्भ में आता है। मोटे तौर पर 2 हजार करोड़ रुपये का उत्पादन आज कृषि क्षेत्र में, विदर्भ में होता है, जबकि कपास की खेती

में से केवल पांच प्रतिशत जमीन को पानी मिलता है। यदि पानी खेत को ज्यादा मिल जाता तो आज जो 2 हजार करोड़ का हम उत्पन्न कपास का निकालते हैं, वह दस हजार, पन्द्रह हजार करोड़ रुपये तक जा सकता था। विदर्भ की खेती बरसात पर निर्भर रहती है। विदर्भ में हर साल सूखा पड़ता रहता है, केवल इसी साल विदर्भ में बाढ़ का प्रकोप रहा, विदर्भ के किसानों की कपास सरकार खरीदती है, लेकिन समय पर पैसा नहीं देती है, उसका ठीक से भाव भी नहीं देती है, विदर्भ का धान उत्पादक और कपास उत्पादक पूर्णतः इस पर निर्भर है।

मैं धान के बारे में बताना चाहता हूं कि सरकार ने न्यूनतम 560 रुपये धान का भाव रखा था, वह भी हमारे आदिवासी किसान को नहीं मिलता है। सरकार साढ़े चार सौ, पांच सौ रुपये के हिसाब से धान खरीद करती है, चाहे वह गडचिरौली हो, चाहे भंडारा जिला हो, चाहे बुंदिया जिला हो, चाहे चन्द्रपुर जिला हो, हर जगह आदिवासियों का शोषण हो रहा है। वहां की जो कोआपरेटिव सोसायटीज़ हैं, वे धान की खरीद करती हैं, लेकिन देश में जो भी न्यूनतम खरीद मूल्य है, वह तो कम से कम आदिवासियों को मिलना चाहिए, आप बड़े लोगों को छोड़ दीजिए, लेकिन सरकार वह भी नहीं देती है। हमारे गडचिरौली और जहां पर धान का उत्पादन होता है, वहां पर सोसायटी के माध्यम से आदिवासियों का शोषण हो रहा है। सर, आज हमारे किसानों को सुरक्षा और सुविधा नहीं मिल रही है, यह बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है। विदर्भ संतरे के मामले में कैलिफोर्निया कहलाता था। नागपुर का संतरा बहुत प्रसिद्ध है, आज भी वहां लोग जाते हैं, तो संतरा लेकर आते हैं। हम भी वहां से आते हैं, तो संतरा लेकर आते हैं और किसी को भी भेंट देते हैं, तो संतरा भेंट में देते हैं, क्या हालत हो गई है उस कैलिफोर्निया की ? ...(व्यवधान)...

श्री विजय जे. दर्डा (महाराष्ट्र): आपने कभी संतरे की भेंट हमें नहीं दी है?

श्री दत्ता मेघे : मैं बिल्कुल भेज दूंगा। मेरे यहां संतरे का बगीचा है, मैं जरूर भेजूंगा, सबको दूंगा। ...(व्यवधान)...

श्री विजय जे. दर्डा : आपने कभी संतरे की भेंट डिप्टी चेयरमैन साहब को दी है?

श्री दत्ता मेघे : अरे भाई, मैं सबको देता हूं, दे सकता हूं। किसान की हालत कुछ भी रहे। ...(व्यवधान)...

प्रो. राम देव भंडारी (बिहार): आपको बाग में ले चलेंगे, जितना संतरा खाना हो, खा लीजिएगा। ...(व्यवधान)...

श्री दत्ता मेघे : नहीं-नहीं, सबको दे देंगे। संतरे के सीजन में मैं सब मेम्बर्स को संतरा खिलाऊंगा। कम से कम हमको मदद हो, ताकि वहां के जो किसान हैं।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : दत्ता मेघे जी, यह ऐश्योरेंस हो गया ...(व्यवधान)...

श्री दत्ता मेघे : बिल्कुल ऐश्योरेंस है। अगली बार सबको संतरा दे सकता हूं, भगवान की दया से खूब फल है। सर, संतरे की जो हालत आज हो गई है, यह बहुत बुरी है। पहले जो 72 लाख मीट्रिक टन संतरे का उत्पादन होता था, अब वह बहुत ही कम हो रहा है। संतरे के बाग सूख गये हैं, पानी नहीं है और जो भी मिलता है, उसका भाव नहीं मिलता है। संतरे के जो किसान हैं, उनकी बहुत बुरी हालत है।

सर, सरकार ने बहुत पैकेज दिये हैं, लेकिन उनसे भी कुछ नहीं हो पाया है, खेती के बारे में बहुत है। हमारे यहां शुगर फैक्ट्रीज हैं। हम लोगों ने देखा कि पश्चिमीबाग में शुगर फैक्ट्रीज़ अच्छी चल रही हैं, तो हमने शुरू की, लेकिन शुगर फैक्ट्री नहीं चली। वहां पर पानी नहीं है, पानी नहीं रहने से वहां गन्ना नहीं होता है। जो भी शुगर कारखाने लगाये थे, उनमें से एक-दो को छोड़कर सभी कारखानें बंद होने के कगार पर हैं, करोड़ों रुपये का लॉस उसमें हो रहा है, कारखाने में कुछ नहीं हो रहा है।

हमारे यहां वस्त्र उद्योग बहुत बड़े पैमाने पर होता था। हमारे नागपुर शहर में सात-आठ लाख बुनकर लोग थे, छोटे-छोटे बुनकर लोग थे, वे बुनकरी का धंधा करते थे, बुनकरी उनका काम ही था, लेकिन आज उनके पास कोई काम नहीं है। आज बुनकरी की हालत सबसे खराब है। पावरलूम पर जो काम करते थे, वे तो थोड़े-बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो हाथ से बुनकरी का काम करते थे, उनको आज खाने को भी नहीं मिल रहा है। जो लोग परम्परागत रूप में यह काम करते थे, आज उनकी हालत बहुत खराब हो गई है, उनके लिए कोई अच्छा पैकेज महाराष्ट्र सरकार दे। सरकार के पास पैसा है, लेकिन हमारे विदर्भ में जो बुनियादी चीजों की जरूरत है, वह भी पूरी नहीं हो रही है। उपसभापति महोदय, मेरे पास बोलने का टाइम तो बचा है।

श्री उपसभापति : आप जो-जो बोलना चाहें, बोल लीजिए।

श्री दत्ता मेघे : सर, इतना टाइम मिलता नहीं है इसलिए मैंने पूछा है। हर बार समय की समस्या लगी रहती है। चावल के बारे में जैसा मैंने कहा कि दाम नहीं मिलता है, न्यूनतम प्राइस नहीं मिल रहा है। जब चावल निकलता है तो उसका कोई खरीददार नहीं होता है। वहां के साहूकार लोग, बड़े लोग उनका धान और कपास खरीद लेते हैं। हमारे पूरे प्रदेश में कपास के बारे में एकाधिकार खरीद होती थी, बहुत दिन से है, अच्छा है, उनको फायदा होता था। बीच में थोड़े ज्यादा भाव आए, किसान को बाहर बेचने को मिलता था। लेकिन आज किसानों की हालत यह है कि मार्किट में जब अच्छा कपास आता है तो व्यापारी लोग उसको खरीद लेते हैं। बाद में किसानों को पैसे नहीं मिलते और कपास के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सर, वहां पर स्वामीनाथन जी गए थे। हमारे केन्द्र सरकार के ऐग्रीकल्चरल एक्सपर्ट हैं, स्वामीनाथन जी, जिस-जिस गांव में आत्महत्याएं हुईं - वे हर जिले में गए और उन्होंने उस संबंध में रिपोर्ट दी कि कम से कम किसानों को जल्दी पैसे दो ताकि आत्महत्याएं न हों। सरकार कपास खरीद लेती है, लेकिन साल-साल, दो-दो साल पैसे नहीं देती, बोनस नहीं देती। उसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि किसानों का जो कर्जा है, उसे 6 टके पर लाओ। यह स्वामीनाथन की रिपोर्ट विदर्भ के बारे में है कि वहां पर आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं। उन्होंने कहा कि चीन में जीरो परसेंट पर किसानों को कर्जा मिलता है। किसान जो कर्जा लेता है, उस पर उसको कोई ब्याज नहीं देना पड़ता है। उन्होंने कहा जितना कम कर सकते हैं, उतनी कम ब्याज दर पर विदर्भ में जो कपास के किसान हैं, उनको आप कर्जा दो। वे कर्जा नहीं देते तो किसान साहूकार के पास जाते हैं। साहूकार 25 टके, 30 टके, 40 टके ब्याज लेता है। किसान वह पैसा दे नहीं पाते हैं और फिर आत्महत्या कर लेते हैं। अभी 6 महीने पहले स्वामीनाथन साहब ने केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को कहा है, वह रिपोर्ट आप विदर्भ के लिए लागू करें तो बहुत अच्छी बात होगी और कम से कम विदर्भ का जो किसान है, जो बड़े पैमाने पर खेती में है, अन्य जो करोड़ों लोग खेती में हैं, उनको बहुत बड़ी मदद इससे मिल सकती है।

महामार्ग के संबंध में कहना चाहता हूं। महाराष्ट्र के कुल भौगोलिक क्षेत्र से विदर्भ का क्षेत्र 32 प्रतिशत आता है। किन्तु रास्ते की लम्बाई अन्य क्षेत्रों की तुलना में विदर्भ में कम है। केन्द्र सरकार ने 1981-2001 तक जो प्लान बनाया है, उसमें जो निर्देशांक तय किया गया है, उसके मुताबिक हर सौ चौरस मीटर के लिए 82 किलोमीटर रास्ते की लम्बाई होनी चाहिए लेकिन विदर्भ में यह प्रमाण केवल 56 किलोमीटर है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य की तुलना में अगर बराबरी करनी है तो विदर्भ में 13636 किलोमीटर रास्ते की कमी है जिसके लिए अगर आज की कीमत को ध्यान में रखा जाए तो 15 सौ करोड़ रुपए सिर्फ रास्ते बनाने में लग सकते हैं।

महोदय, शिक्षा के क्षेत्र को ले लीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में मैं जो तुलना कर रहा हूं - महाराष्ट्र एक है और महाराष्ट्र में हम लोग नहीं थे, हम मध्य प्रदेश में थे, नागपुर राजधानी थी, छत्तीसगढ़ का रायपुर वगैरह हमारे एमपी में आते थे। उस वक्त हमें लिया, हम गए। हमें बहुत खुशी हुई कि पश्चिम महाराष्ट्र के साथ हमारा उद्धार होगा। लेकिन जो हमें मिलने वाला पैसा था, वह भी हमें नहीं मिला, इसका हमें बहुत दुख है। शिक्षा के क्षेत्र में भी वही हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में भी विदर्भ की स्थिति बहुत दयनीय है। महाराष्ट्र सरकार ने 27 मई 2004 को जो अर्थसंकल्प विधान सभा में रखा, उसमें विदर्भ के विकास में शिक्षा और वैद्यकीय शिक्षा का समावेश करते हुए कुछ विशेष योजनाएं जाहिर कीं जिसमें अनुसूचित जाति जमाति की लड़कियों को 8वीं से 10वीं कक्षा तक शिक्षा देने के लिए और उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु 100 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति देने की घोषणा की थी। इसी प्रकार ऐसी कुछ घोषणाएं और की थीं जिनमें से विदर्भ के हिस्से में कुछ भी नहीं आया। विदर्भ के विकास हेतु जो पैकेज कार्यक्रम घोषित हुआ था, उसमें केवल 459 करोड़ रुपए 2004 तक खर्च हुए थे। 2004-2005 के लिए 318 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए थे, जिसमें 5 करोड़ रुपए खर्च कर नागपुर में पशु और मतस्य व्यवसाय विद्यापीठ स्थापित करने की घोषणा की गयी थी। ऐसी घोषणाएं होती हैं, उनके बारे में वे बताते हैं। जब हम लोग वहां आंदोलन वगैरह करना शुरू करते हैं, हमारे वहां के एमएलए चिल्लाते हैं तो कम से कम उनके बारे में बात होती है लेकिन पैसा नहीं मिलता। मैं आपसे बहुत उम्मीद करता हूं। हमारा अधिकार बराबरी का है, आप उनको डायरेक्टिव दे सकते हैं क्योंकि 371 (2) का क्लॉज़ ही ऐसा है कि राज्यपाल को अधिकार दिए हैं। मुम्बई में, मैगा महाराष्ट्र में कोई कंडीशन डाली थी, हमारा रोजगार हो, हमें शिक्षा बराबर मिले, हमें टेक्नीकल एजुकेशन मिले, हमारा विकास लोक संख्या के प्रमाण में हो। यह आश्वासन देने के बाद हम महाराष्ट्र में गए और वहां जाने के बाद अलेक्जेन्डर साहब के डायरेक्शन देने के बाद भी दो साल हो गए हैं, अभी तक नहीं हुआ है। यह बहुत सीरियस बात है, जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। उसे आप देख लीजिए और कम से कम उनसे कहिए कि कंस्टीट्यूशन के हिसाब से, इनको इतना पैसा देना जरूरी है और देना पड़ेगा। क्योंकि जब कंस्टीट्यूशन बदल रहा था, तो जवाहर लाल नेहरू जी ने कहा था कि हम विदर्भ की जनता को न्याय देंगे, आप महाराष्ट्र में जाइए। लेकिन नहीं हुआ और इसलिए गवर्नर के बोलने के बाद जब महाराष्ट्र की जनता को न्याय नहीं मिलता, तो हम क्या करें? बोल नहीं सकते, क्या करें? हमारे सभी नेताओं का...(व्यवधान)... विदर्भ अगर राज्य बना, तो हम एक पैसा भीख मांगने के लिए नहीं आएंगे। समझ लीजिए देवरा साहब, आप बताइए सोनिया जी को, पूरा इलाका कांग्रेस का है, वह बात छोड़ो, लेकिन वह स्टेट बनाइए आप। अगर नहीं बनाएंगे, तो हम भूखे मरेंगे, आत्महत्या के सिवाय कोई चारा नहीं होगा। आपको दुआएं देते रहेंगे, बड़े नेता कहेंगे, आज विदर्भ की जनता भुखमरी से मर रही है, यह मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

महोदय, मेडिकल ऐजुकेशन हो, टेक्नीकल ऐजुकेशन हो, हमारे यहां प्राइवेट कॉलेज शुरू किया है, हमारे देवरा जी का एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, हमारा विदर्भ में एक प्राइवेट कॉलेज है, उससे थोड़ी बहुत सुविधा हो गई है, वरना गवर्नमेंट के एक-दो कॉलेज ही थे। टेक्नीकल ऐजुकेशन में जो प्राइवेट कॉलेज हैं, उनकी फीस ज्यादा है, गरीब आदमी फीस नहीं दे सकता है, न मेडिकल की दे सकता है। गरीब लोगों को कैसी शिक्षा मिलती है? कैसे डाक्टर बनेगा, कैसे इंजीनियर बनेगा? किसी भी आदमी के इंजीनियर बनने में पचास-साठ हज़ार रुपए साल का लगता है और मेडिकल में तीन लाख, छः लाख रुपए लगते हैं। कौन गरीब आदमी पढ़ाई कर सकेगा? यह तो जिम्मेदारी सरकार की है कि जो गरीब आदमी है, दलित और आदिवासी है, कम से कम उसकी फीस भरे। आपने पूरे देश में पांच सालों में, दस सालों में दो-चार मेडिकल कॉलेज भी नहीं खोले। प्राइवेट खोले। हर चीज़ प्राइवेट कर रहे हैं, तो ग़रीब आदमी कैसे पैसा दे सकेगा? मेरा भी प्राइवेट कॉलेज है, मुझे दुख होता है कि जो गरीब लोगों के लिए हमने कॉलेज खोला है, हम उनको शिक्षा नहीं दे पाते हैं। तो यह जो बात है शिक्षा के लिए, हायर ऐजुकेशन हो, मिडल ऐजुकेशन हो या नीचे की ऐजुकेशन हो, अभी राहुल गांधी का भाषण मैंने पेपर में पढ़ा, उन्होंने कहा कि शिक्षा का स्तर सबको सरीखा हो, वह दिन जब आएगा, तो इस देश में बहुत ही खुशहाली होगी। आज देश में शिक्षा उसी के पास है जिसके पास पैसा है। जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकता है, वही आई.पी.एस., आई.ए.एस. बनेगा। जिसके पास पैसा नहीं है, गांव-खेड़े का आदमी, वह कोई आई.ए.एस., आई.पी.एस. नहीं बन सकता है। कोई डाक्टर नहीं बनेगा। जो गरीब आदमी है; जिसकी निचले स्तर पर ही पढ़ाई अच्छी नहीं होती, वह कैसे अच्छी ऐजुकेशन ले सकता है? उसमें भी जो महाराष्ट्र, मुम्बई में जो है, पश्चिम महाराष्ट्र में है, सरकार इस क्षेत्र में जितना खर्चा करती है, उतना भी उसके हिसाब से जो हमारी जनसंख्या है, उसके हिसाब से, मेरे पास आंकड़े हैं, मैं सारे आंकड़े दे दूंगा, आप देखिए, पूछिए कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? कोई बोलने वाला नहीं है। हम बोलने की कोशिश करते हैं, हमको भगा देते हैं। बोलते हैं - इसकी कोई जरूरत नहीं है किसी जगह। यह जो बात है, यह दो करोड़ की जो जनसंख्या है, जो राज्य बन सकता है, उस राज्य की हालत हमारी आज ऐसी बनी हुई है, इसलिए आज मुझे यहां कहना पड़ा।

आज हमारे यहां जो शिक्षा है, जो आई.टी.आई. है, इसकी जरूरत है। आई.टी.आई. के लिए बच्चे आज मिलते नहीं हैं। आज महाराष्ट्र में बी.ए. और एम.ए. करने के लिए हम करोड़ों रुपए का खर्चा करते हैं और गवर्नमेंट उसके लिए पैसे देती है। करोड़ों रुपए देती है, क्या फायदा होता है? बी.ए. पास को चपरासी की नौकरी नहीं मिलती है, उसको कंप्यूटर नहीं आता है। कम से कम आई.टी.आई., यह जो टेक्नीकल ऐजुकेशन है, इसमें थोड़ा खर्चा कीजिए। बी.ए. की क्लास में कोई जाता नहीं है। मैंने देखा है, जितने आर्ट कॉलेज हैं महाराष्ट्र में, आधे से ज्यादा कॉलेजों में न बच्चे जाते हैं, न प्रोफेसर पढ़ाते हैं। अच्छे तबके के लोग, मेरा इससे संबंध है, इसलिए मैं कहता हूं कि जिस शिक्षा में न टीचर जाते हैं,न बच्चे जाते हैं, वहां हम करोड़ों का खर्चा कर रहे हैं और जिस शिक्षा की जरूरत है, उसमें खर्चा नहीं कर रहे हैं। इसलिए जिस शिक्षा की जरूरत है, गरीब आदमी पढ़े, देश को उनकी जरूरत है, इसलिए उस शिक्षा में सरकार खर्चा करे, गरीब लोगों की शिक्षा के लिए सरकार पैसा दे, विदर्भ में यह नहीं हो रहा है, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत पीछे हैं।

3.00 P.M.

रोज़गार के क्षेत्र में हम देखें तो उर्वरित महाराष्ट्र की तुलना में विदर्भ में बेरोज़गारी का प्रतिशत अधिक है। सेवायोजन कार्यालय के आंकड़ों की उपलब्ध जानकारी के अनुसार 2003-04 में महाराष्ट्र में कुल पंजीकृत सुशिक्षित युवकों में से 35 प्रतिशत लोग विदर्भ के हैं। रोजगार गारंटी स्कीम में हम मजदूरों के रोजगार को देखें तो महाराष्ट्र में 38 प्रतिशत निधि खर्च होती है और विदर्भ में केवल 28 प्रतिशत निधि खर्च होती है। यही स्थिति सरकारी निकायों में जैसे जिला परिषद्, पंचायत समिति आदि क्षेत्रों में भी पश्चिम महाराष्ट्र के आंकड़े विदर्भ की बेरोजगारी को दिखाते हैं। प्रति लाख जन संख्या को आधार माना जाए तो विदर्भ में एक लाख के पीछे जो रोजगार उपलब्ध हैं, उनमें से केवल 40 प्रतिशत लोगों को काम मिल सकता है अर्थात् 60 प्रतिशत लोग बेरोजगार रहेंगे। विदर्भ के सर्वांगीण विकास हेतु कालबद्ध कार्यक्रम और उसी अनुपात में निधि का आवंटन आवश्यक है। संविधान ने विदर्भ विकास हेतु विशेष प्रावधान किया है, जिसके तहत माननीय राज्यपाल जी को विशेष अधिकार भी दिया है। विदर्भ के विकास में जो काम आते हैं, उनमें से कई काम संविधान की संयुक्त सूची के अंतर्गत आते हैं। इसमें केन्द्र सकार को भी काम करने का अधिकार प्राप्त हैं। अतः मेरा इस प्रस्ताव के द्वारा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि जब राज्य सरकार एक प्रदेश के विकास को अनदेखा कर रही है तब केन्द्र सरकार पहल करे और संयुक्त सूची के काम खुद करने की जिम्मेदारी ले। उसी प्रकार राज्यपाल जी को विदर्भ के विकास हेतु, जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं, उनको उपयोग करने के लिए केन्द्र सरकार उन्हें निवेदन दे तथा शक्ति प्रदान करें और आवश्यक निधि उपलब्ध कराए।

विदर्भ के विकास हेतु, सिंचन, उद्योग तथा रास्ते योजनाओं के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार को आने वाले दो-तीन साल तक दस हजार करोड़ रुपए सालाना देने की जरूरत है तब जाकर विदर्भ पश्चिम महाराष्ट्र तथा मुम्बई की तुलना में खड़ा हो पाएगा। अतः मेरा इस सदन के माध्यम से, केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि दस हजार करोड़ की निधि, विदर्भ विकास हेतु राज्य सरकार को प्रस्तावित करने के लिए राज्य सरकार पर दबाव डाले तथा जैसा मुम्बई विकास के लिए केन्द्र सरकार ने सौ करोड़ रुपए का अनुदान दिया है, उसी प्रकार विदर्भ विकास हेतु, दस हजार करोड़ में से कम से कम तीस से चालीस प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार भी आने वाले कुछ सालों में क्रमशः उपलब्ध कराए। इसलिए मैंने यह मांग यहां पर रखी है। मैं आपको यह भी बताता हूं कि हम क्षेत्र में कैसे-कैसे पीछे हैं। मैंने इसको आंकड़े वाइज निकाला है। मैं आपको बहुत कम समय के अंदर यह बतलाऊंगा। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आप रेप्लाई के लिए भी कुछ रख लें। आपको रेप्लाई भी देना है।

श्री दत्ता मेघे : सर, 2001 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र की जनसंख्या 9, 67, 52, 247 थी। पश्चिम महाराष्ट्र में, मुम्बई और कोकण को मिलाकर 63 परसेंट लोग हैं, मराठवाड़ा में 16 परसेंट लोग हैं और विदर्भ में 21 परसेंट जनसंख्या है। भौगोलिक क्षेत्र को अगर ध्यान में लें तो राज्य के कुल क्षेत्र में से 32 प्रतिशत क्षेत्र विदर्भ में आता है। अर्थात् 32 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में से 21 प्रतिशत जनसंख्या के प्रमाण में राज्य को, विदर्भ को हर योजना का लाभ देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर राज्य के 100 रुपए में से विदर्भ को 21 रुपए प्राप्त होने चाहिएं, जबकि आज उसको ये रुपए नहीं दिए जा रहे हैं। इसके विपरीत

राज्य में घाटा है, क्योकि उसने कर्जा लिया है। उसने 1,10, 211करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया है। हमें यह कर्जा तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि विकास तो उधर हो रहा है।

इसके विपरीत राज्य के हर घाटे में विदर्भ को बराबरी का भागीदार बनाया जाता है। 2004-05 में राज्य का कर्ज 1,10, 211करोड़ रुपए है। इस कर्ज का भुगतान और ब्याज सप्रमाण पर राज्य की निधि में से किया जाता है अर्थात् पश्चिम महाराष्ट्र में जो सुविधाएं दी जाती हैं, उनके कर्ज का भुगतान, जहां सुविधाएं नहीं दी जा रहीं हैं या विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं, उस विदर्भ प्रदेश की जनता को भी सप्रमाण में करना पड़ रहा है। यानी जो कर्जा लिया है, उसको हमें भी देना पड़ता है, जो राज्य का बजट है, उसमें देना पड़ेगा। पर कैपिटा इन्कम में भी असंतुलन है। 1998-99 के आंकड़ों के अनुसार राज्य का सर्वसाधारण प्रति व्यक्ति पूरे महाराष्ट्र का 15,804 रु0 है जबकि पश्चिम महाराष्ट्र में 15752 रु0 है, मराठवाड़ा में 9565 है और विदर्भ में 11754 है। यानी लोगों को जो पैसा मिलता है, उसमें भी हम पीछे हैं। इसी तरह अगर जिलावार उत्पाद की बात करें, तो पश्चिम महाराष्ट्र के जिलों का कुल घरेलू उत्पाद 5,17,790 रुपए है, जब कि विदर्भ का कुल घरेलू उत्पादन 2,70,263 है। सर्वाधिक संपन्न मुंबई जिले का घरेलू उत्पाद 62,495 रुपए है, पुणे का घरेलू उत्पाद 35,677 रुपए है। नागपुर को अगर छोड़ दिया जाए, तो विदर्भ के जिलों में 13,000 रुपए से 15,000 रुपए का घरेलू उत्पाद है, विदर्भ के केवल नागपुर जिले में घरेलू उत्पाद 34,385 रुपए है।

महोदय, अगर हम विभागों की तुलना करें, तो कोंकण विभाग 41.4 प्रतिशत, पुणे विभाग 20.2 प्रतिशत उत्पाद के आंकड़े सामने आते हैं। इसी के साथ विदर्भ के नागपुर विभाग का उत्पाद 9.8 प्रतिशत और अमरावती विभाग का उत्पाद 6.9 प्रतिशत है। प्रति व्यक्ति उत्पाद के ये आंकड़े साफ जाहिर करते हैं कि पश्चिम महाराष्ट्र का आदमी दिन-ब-दिन संपन्न होता जा रहा है और विदर्भ का आदमी पिछले 40 सालों से भूख और गरीबी से जूझ रहा है। इसके कारणों पर विचार किया जाए, तो साफ दिखाई देता है कि इसके पीछे राज्य सरकार का पक्षपातपूर्ण रवैया है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि पश्चिम महाराष्ट्र के विकास हेतु राज्य सरकार ने अपनी आय का बड़ा हिस्सा, उस पर खर्च किया है, इतना ही नहीं, विदर्भ की परियोजनाओं का पैसा भी पश्चिम महाराष्ट्र में खर्च किया गया है। सभी साधन-सामग्री का लाभ, सरकारी अनुदान और सब्सिडी का लाभ पश्चिमी महाराष्ट्र को दिया गया है, किंतु विदर्भ को उपेक्षित रखा गया है, जिसके कारण विकास के साथ-साथ वहां रोजगार के अवसर बढ़े, खेती पर निर्भर जनसंख्या का बोझ कम हुआ और पश्चिम महाराष्ट्र की संपन्नता बढ़ी।

महोदय, मैं बता रहा हूं कि हर क्षेत्र में हम कितने पीछे हैं और पीछे रहने के क्या कारण हैं। मैं आपको ये आंकड़े दूंगा, ये आंकड़े आपके काम में आएंगे, आप जरा बुलाइए चीफ-सेक्रेटरी को, गवर्नर के सेक्रेटरी को बुलाइए और हमारी मदद कीजिए। मुंबई के अलावा इस राज्य की काम करने वाली कुल जनसंख्या 27,86,982 है, जिसमें से 49.5 प्रतिशत जनता पश्चिम महाराष्ट्र की है। मराठवाड़ा में 26.2 प्रतिशत और विदर्भ में 24.3 प्रतिशत जनसंख्या काम करने वाली है, अर्थात् रोजगार वहां ज्यादा है, यहां कम है। रोजगार के मामले में भी विदर्भ सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है।

महोदय, इसी तरह मैं अनुशेष के बारे में कहना चाहता हूं। जहां हमारा अनुशेष 1982-83 की कीमतों के आधार पर 1,246 करोड़ रुपए था, वह अब बढ़कर 7,000-8000

करोड़ रुपए हो गया है। इतना ही नहीं राज्य पुनर्रचना के वक्त विदर्भ की जनता के आंदोलन को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आश्वासन देते हुए कहा था कि विदर्भ के साथ न्याय होगा, अगर कोई अन्याय होगा, तो केन्द्र सरकार उस ओर ध्यान देगी। यह उस वक्त पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी द्वारा दी हुई स्पीच है, जिसका उल्लेख आज मैं यहां कर रहा हूं। नेहरू जी के उपरोक्त आश्वासन को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में संशोधन करके धारा 371(2) में विदर्भ को विशेष दर्जा देने का प्रावधान किया गया। इसी संविधान की धारा 371(2) के अनुसार 1994 में विदर्भ का बैकलॉग दूर करने के लिए राज्यपाल जी के अधीन स्वायत्त विकास मंडल की स्थापना की गई, जिसके लिए दोनों हाऊसेज में एकमत से रेज़ोल्यूशन पास हुआ। उसी वक्त बैकलॉग का प्रोविजन किया गया, जिसके लिए Indicator and Backlog Committee यानी IBC नियुक्त की गई। इस कमेटी ने 1993-94 की कीमतों के आधार पर विदर्भ का कुल बैकलॉग 5,778 करोड़ रुपए बताया। यही कीमत अगर हम आज लें, तो यह बैकलॉग की राशि 4 गुणा बढ़ जाएगी, अर्थात् आज के रेट के हिसाब से विदर्भ का बैकलॉग 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होगा। अगर हम बैकलॉग के आंकड़ों की तुलना करें, तो यहां पर भी हमारा बैकलॉग ज्यादा है। पश्चिम महाराष्ट्र और विदर्भ के आंकड़े मेरे पास हैं, लेकिन मैं इनकी तुलना में ज्यादा समय नहीं लूंगा। अगर हम प्रति व्यक्ति बैकलॉग की बात करें, तो 1984 और 1994 के आंकड़े हमें बताते हैं कि विदर्भ का प्रति व्यक्ति बैकलॉग 1984 में 869 रुपए था, जो 1994 में बढ़कर 4,001 रुपए हो गया है। हर जगह के फिगर्स यही कहते हैं। कृषि और सिंचाई विभाग की बात मैंने इसमें कही है, जो पंप किसान लगाते हैं, उसमें भी हम बहुत पीछे हैं। आज भी हमारे यहां सूची pending है, उधर pending नहीं है। वहां सिंचाई की सुविधा है, सूची pending नहीं है, यहां की बिजली वहां जा रही है, वहां का किसान सुखी हो रहा है, जब कि विदर्भ के लोग भूखे हैं और आत्महत्या कर रहे हैं।

श्री उपसभापति : बिजली मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री, दोनों महाराष्ट्र से हैं।

श्री दत्ता मेघे : हम उनसे मिले थे। कल वे उत्तर दे रहे थे। आज ही हमारे दर्डा जी ने क्वैश्चन पूछा था कि हमें एनटीपीसी ने थापड़खेड़ा के पास एक हजार मेगावाट का थर्मल स्टेशन देने के लिए कबूल किया था, इस पर 25 लाख खर्च किया और अब इसे छत्तीसगढ़ ले गए। उनको दीजिए। लेकिन हमारे पास कोयला है, उस कोयले का इस्तेमाल लोग बहुत अलग-अलग कर रहे हैं। वहाँ एक हजार मेगावाट का प्लान बन सकता है। सभापति महोदय के परमिशन से हम बोलने वाले थे, लेकिन गड़बड़ हो गई और हमारा क्वैश्चन रह गया। मंत्री महोदय इसका उत्तर भी देने वाले थे। वे महाराष्ट्र से हैं और हमें उत्तर मिलने वाला था। जो बन रहा है, 50 प्रतिशत, वे कहते हैं कि हम बीच का उत्पादन करते हैं, 10-15 प्रतिशत मिलते हैं और सबसे ज्यादा लोड शेडिंग विदर्भ के लोगों के यहाँ है। बच्चे पढ़ नहीं सकते, 8-8, 10-10 घंटे पानी नहीं मिलता। यह लोड शेडिंग की बात है।

मैं एक आखिरी बात यह कहने वाला हूँ, यह बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि राज्यपाल के डायरेक्टिव का उल्लंघन हो रहा है। मंत्री जी, इसका आप ख्याल रखिएगा। मंत्री जी लिख रहे हैं न। हमारे यहाँ अलेक्जेन्डर साहब उस वक्त राज्यपाल थे, वे अभी यहाँ नहीं है, वे रहते तो मैं उनके सामने बोलता। राज्यपाल के डायरेक्टिव का उल्लंघन हो रहा है। विदर्भ के साथ विकास के मामले में सतत अन्याय हो रहा है। यह बात आँकड़ों से जाहिर होती है। यह मैंने अभी आपको कहा है। यह डिसपैरिटी देख मान्यवर राज्यपाल जी ने संविधान की

धारा 371(2) के तहत उन्हें प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार को दो बार डायरेक्टिव दिया, किन्तु राज्यपाल के आदेश के बाद भी विदर्भ के विकास हेतु राज्य सरकार ने पैसा उपलब्ध नहीं करवाया। इतना ही नहीं, विदर्भ का निधि राज्य सरकार ने पश्चिम महाराष्ट्र के कामों पर खर्च किया। ये आँकड़े बताते हैं। विदर्भ स्वायत्त विकास मंडल का गठन संविधान की धारा 371(2) के अन्तर्गत होने के कारण राज्यपाल जी के आदेश राज्य सरकार पर बंधनकारक होते हैं। इस सन्दर्भ में माननीय राज्यपाल जी के आदेश की की गई अवहेलना का पर्याय संविधान की अवहेलना होती है। इतनी जिम्मेदारी से मैं यह कह रहा हूँ। राज्य सरकार ने विदर्भ विकास के सन्दर्भ में राज्यपाल जी के आदेश की अवहेलना कर संविधान की धारा 371(2) का उल्लंघन किया है। अत: इस स्थिति में केन्द्र सरकार स्वयं संविधान के उपरोक्त प्रावधान के अनुसार राज्य के कार्यों में दखल दे सकती है और राज्य सरकार को बाध्य कर सकती है। उसी प्रकार विदर्भ को संविधान में प्राप्त विशेष दर्जा को ध्यान में लेते हुए केन्द्र सरकार स्वयं भी विदर्भ विकास के कार्य को हाथ में ले सकती है। मेरा इस सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि राज्य सरकार के संविधान के उल्लंघन करने के कारण केन्द्र स्वयं इस सन्दर्भ में दखल दे तथा केन्द्र की निधि में से विदर्भ के बैकलॉग को दूर करने के लिए कम-से-कम 10 हजार करोड़ रुपए का एक विकास पैकेज घोषित करे। केन्द्र बाद में चाहे तो यह निधि राज्य से वसूल कर ले। जब विदर्भ विकास के सारे मार्ग राज्य सरकार की उदासीनता से, पक्षपात से बन्द हो गए हैं, तो वह हम केन्द्र से अपेक्षा करते हैं। आज भूख, गरीबी और पिछड़ेपन के कारण विदर्भ में आए दिन 5 से 8 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अगर केन्द्र ने भी मदद घोषित नहीं की, तो विदर्भ का जनाक्रोश क्या रंग लेगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। अगर राज्य सरकार विदर्भ का सिर्फ शोषण ही करना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में 45 साल हमने सह लिया, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। या तो हमें विकास के मामले में न्याय दें या विदर्भ को पृथक राज्य बना कर हमसे छुटकारा पा लें। आप विदर्भ राज्य दे दीजिए, हम आपसे और कुछ नहीं मांगेंगे। हमारा विकास हम खुद कर सकते हैं। हमको इतना अच्छा मिला था, हमें नहीं दिया गया, हम खुद कर सकते हैं। हमारे ऊपर जिम्मेदारी सौंपें। नेहरू जी के टाइम में जो धारा लगाई थी, उन्होंने दुरुस्त करके दिया था, कम-से-कम उस आश्वासन की पूर्ति हमारे राज्य मंत्री जी करेंगे, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ। मेरा भाषण समाप्त हुआ। धन्यवाद।

The question was proposed.

DR. GYAN PRAKASH PILANIA (Rajathan): Mr. Deputy Chairman, Sir, my grateful thanks to you. I do not want to tax your patience for long. I have been prompted to speak, Sir, primarily because of the impassioned plea of our learned friend from Vidarbha for justice to Vidarbha. Another temptation is that he will give a bag full of oranges gratis.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He has promised to send oranges to everybody.

DR. GYAN PRAKASH PILANIA: It is such a temptation that I hold his brief also. Sir, the problem, as far as I am concerned, is not of Vidarbha or Maharashtra or discrimination or injustice or some inter-State

dispute; I feel the problem of the farmer of Maharashtra or Andhra Pradesh or any place who commits suicide is a national problem. It is symptomatic; it is not confined to any particular area. Why a farmer goes to that extent that he voluntarily takes his life, there must be something which is beyond his control, there must be something which he cannot solve at his own level, there must be something which is so much shaking to him that he feels that life is not worth living. So, it is a matter, which needs to be looked into, which needs consideration at the national level. In every State, as far as South is concerned, thousands of farmers have committed suicide. Even in Punjab, which is said to be a green land, there also they have committed suicide. So, there must be some basic reasons. Personally, I feel, Sir, that it is failure of rain god. We may call it famine, we may call it drought, we may say agriculture is a gamble of monsoon in the country, if water is not there failure will be there of agriculture. Another thing is seed. Seed is spurious, seed is not genuine, and in Vidarbha or in Maharashtra it is because of the BT cotton failing which is one of the reasons that has led to extremity of the farmers. Apart from seed, spurious insecticides, spurious fertilizers have also added to his woes. Third thing is failure of credit. He is in a debt trap. He is not able to get credit when needed at easy terms, at easy rate of interest and he has to take it from moneylenders. When the time comes, the moneylenders will get back the money at their cost. He knows that he has to pay them back.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DATTA MEGHE) in the Chair]

And, ultimately, it is failure of the Government, it may be the present Government or the previous Government, but the Government machinery at the level of politicians as well as bureaucrats has failed the farmer. So, these four factors - failure of water, failure of seeds, pesticides, and insecticides, failure of credit and failure of Government machinery have led to his plight and really his tale is a tale of woes and a tale of tears. He is born in debt, he lives in debt, and he dies in debt. Something has to be done about it. If it is not done and fundamental factors are not looked into, then suicides will get continuing, whatever kind of development activities you might do. Death is not because of starvation. I come from Rajasthan, a land of perpetual famine, a land of biggest desert in the country, a land that is more backward than Vidarbha, but still farmers do not commit suicide there. They do not have per capita income more than Punjab; they do not have per capita income more than Tamil Nadu or more than any other Southern State. But still they have learnt to live with frugality. They have

learnt to live with the difficult circumstances of nature. They have become acclimatised to that. That is one way of living. But still, when suicides are there, there must be some sense of national shame, responsibility and accountability about it. I do not know, suicides have also been discussed in this august House. They were discussed, I think, one year back, even two years back. They will be discussed next year also. But this discussion must lead ultimately to some of kind of solution. If that does not happen it is a waste of time of your honest patience and waste of time of this august House. Credit policy must change and inputs, which are given to the farmer, must be economical and whatever is his output that should get remunerative prices. So minimum support price should be there for all the crops which farmer produces. Minimum inputs should be at reasonable rates and then if crop failure is there, there must be an assured, absolute, guaranteed insurance for that. Until and unless all these things are done, these kinds of resolutions, these kinds of impatient pleas, these kinds of petitions or mercies on behalf of farmers committing suicide will keep on coming. There will be elegies, there will be tears also in the eyes of those who are more sentimental. But suicides will continue and it will be a blot in the name of the nation. So, I think combined wisdom will prevail and some way will be found out to put an end to these suicides for which our country is becoming famous now. Our country in which 60 per cent live on farming, in which the whole economy should depend on farming and if farmers die on his own will because he cannot live and exist honourably, I think, Sir, it is a matter of concern. I just wanted to raise my voice to this concern and to draw the attention of this august House and the Government, through your kind honour to this malady and to this tragedy. Thank you very much, Sir, for having given me an opportunity to speak on this issue. Grateful thanks.

श्री विजय जे. दर्डा (महाराष्ट्र) : महोदय, आपका धन्यवाद।

ज़ुल्म फिर ज़ुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है।
खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है।।

मैं आदरणीय मेघे साहब का आभारी हूँ कि उन्होंने यह विषय सदन के सामने लाया। यहाँ विदर्भ के पिछड़ेपन विषय पर चर्चा हो रही है। नागपुर सी0पी0 बिरार की राजधानी हुआ करती थी। महाराष्ट्र 1956 में राज्य बना। इस देश के अन्दर ऐसा कोई शहर नहीं है, जो कि राजधानी न होते हुए भी जहाँ पर हाई कोर्ट है, जहाँ पर विधान सभा है, जहाँ पर राज भवन है और वहाँ से सारे देश के अन्दर चारों तरफ ट्रेन्स जाती हैं, जीरो माइल का पत्थर वहाँ से शुरू होता है और यह इस देश का एक मात्र ऐसा शहर है। उसके बावजूद जो कभी राजधानी के रूप में था, पूरा विदर्भ, जो सी0पी0 बिरार का कैपिटल था और जब महाराष्ट्र बना तो महाराष्ट्र में यह

आश्वस्त कराया गया था, महाराष्ट्र में यह कहा गया था कि विदर्भ हमारे साथ में आए, विदर्भ के साथ न्याय होगा, वहां के लोगों को न्याय मिलेगा, उनकी उन्नति होगी, उनकी खुशहाली का ख्याल किया जाएगा, उनकी तरक्की का ख्याल किया जाएगा। आज मैं देख रहा हूँ कि पचास वर्ष हो गए, मगर यह इलाका पिछड़ा का पिछड़ा रह गया। इस बात को महाराष्ट्र के सभी मुख्य मंत्रियों ने स्वीकार किया है कि विदर्भ के विकास का असंतुलन हो रहा है और उन्होंने समय-समय पर उसे दूर करने की भी चेष्टा की है, प्रयास किया है, किन्तु ज़मीनी हकीकत में कोई बदलाव नहीं आया है। इसलिए समय-समय पर लोगों का रोष बढ़ता गया, लोग अलग विदर्भ की मांग करने लगे।

इस राष्ट्र में हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है, उसको अपनी तरक्की का पूरा अधिकार है, उसके बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार है, उसको सेहत के लिए स्वास्थ्य का अधिकार है, मगर आज हम विदर्भ में क्या देख रहे हैं कि विदर्भ के अंदर उसका बैकलॉग बढ़ता जा रहा है। सरकार कहती है कि यह बैकलॉग जो है साढ़े सात, आठ हजार करोड़ का है, मगर हमारी फिगर में यह करीब करीब पच्चीस हजार करोड़ का है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि विदर्भ के अंदर यह भावना दिन प्रति दिन क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि हाल ही का एक उदाहरण है कि वहां नागपुर के पास मऊदा करके एक जगह है, जहां एनटीपीसी एक हजार मेगावाट का पावर स्टेशन लगाने जा रही थी, उसका प्रोविजन हुआ, 25 लाख रुपया सेंक्सन भी हुआ, मगर उसको वहां से छत्तीसगढ़ की ओर भेज दिया गया। हमारे लिए यह खुशी की बात है कि यहां पर इस वक्त एक ऐसे ऊर्जा मंत्री हैं, जो अन्याय को महसूस करते हैं, वे भी महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि मऊदा से यह जो पावर प्रोजेक्ट है, इसको नहीं जाने देंगे, यह वहीं पर बनेगा। यह उन्होंने आश्वस्त किया है। किन्तु, इससे एक बात हमारे मन में यह आती है, चाहे वह सड़क हो, चाहे वह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, किसी प्रकार के विकास की बात हो, जैसे हम लोग कपास ग्रो करते हैं, कपास वहां पर उगाते हैं और सारी स्पिनिंग मिलें कहीं और खुल रही हैं, गन्ना हमारे पास, मगर गन्ने के काम के लिए फैक्टरियां कहीं और खुल रही हैं, तो वहां का जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का विकास कैसे होगा?

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कल ही युवा नेता राहुल गांधी जी का भाषण सुन रहा था। उन्होंने शिक्षा के बारे में कहा। स्वयं हमारी आदरणीय नेता सोनिया जी ने, जब भी उन्होंने विदर्भ का दौरा किया है, उन्होंने किसान के ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में, अन्याय के बारे में आवाज उठाई थी। उन्होंने राहत देने की चेष्टा की है। आज विदर्भ के अंदर, विशेष रूप से यवतमाल जिले के अंदर क्यों इतनी आत्महत्याएं हुईं? आत्महत्याएं होने के बाद में अगर हम लोग पैकेज बनाते हैं, तो उस पैकेज का क्या फायदा है? आप ऐसे ठोस उपाय बनाइए, जिससे कि आत्महत्याएं न हों, वहां की तरक्की हो। वहां पर एरीगेशन की फैसिलिटीज नहीं हैं, एरीगेशन के जितने भी प्रोजेक्ट बनते हैं, वे वहां पर इम्पलीमेंट नहीं हो पाते हैं और दबाव के कारण कहीं और चले जाते हैं। यही बात शिक्षा के मामले में है।

वही बात मोटर पम्पों पर भी लागू होती है, किसानों के कुओं पर लगने वाले मोटर पम्पों में भी बैकलॉग है। रास्ते में बैकलॉग है, जो पैसा विदर्भ विकास के लिए आता है, वह भी कहीं ओर चला जाता है। खेल में भी बैकलॉग है और हर चीज में बैकलॉग है। हम देख रहे हैं कि जितने भी छोटे-छोटे राज्य बने - हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, झारखंड, इनमें छत्तीसगढ़

की तो यह हालत है कि वह आज एक ऐसी स्टेट है, जिसके पास करीब-करीब 1200 करोड़ का रेवेन्यु सरप्लस है।

मैं एक बात विशेष जोर देकर कहना चाहूंगा कि मराठी भाषा के भावनात्मक एकीकरण का तर्क अब लागू नहीं होता। जब देश में चार बड़े हिन्दी भाषी राज्य - उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान - हो सकते हैं और तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, प्रोग्रैस के लिए अगर उनका विभाजन हो सकता है, तो मराठी भाषा के दो राज्य क्यों नहीं हो सकते? एक विदर्भ हो और दूसरा बाकी महाराष्ट्र हो।

आज हमारे पास कोयला है, हमारे पास सारे मिनरल्स हैं, हमारे पास टिम्बर है, हमारे पास लाइम है, हमारे पास अच्छी जमीन है, उसका उपयोग किया जा सकता है। यह राज्य अपने पैरों पर खड़ा होकर तरक्की कर सकता है और यहां के लोग तथा विशेषकर युवा पीढ़ी तरक्की कर सकती है। बिजली हम लोग पैदा करते हैं, जाती बाहर है। वहां पर सीमेंट फैक्ट्रियां हैं और उनके कारण पर्यावरण आदि से होने वाले जितने दुष्परिणाम हैं, वे तो हम लोग सहन करते हैं, लेकिन उसका लाभ अन्य लोग उठाते हैं। यह भी एक हकीकत है।

विदर्भ राज्य की मांग इसलिए भी बार-बार उठती है कि वहां लोग मौलिक सुविधाओं से वंचित हैं और यह केवल तर्क नहीं, बल्कि सत्य हकीकत है। कोई भी मुख्य मंत्री आया, हर मुख्य मंत्री ने समय-समय पर आश्वासन दिए, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं आया, वहां केवल मरहम-पट्टी का काम चल रहा है।

इसलिए हमारी मांग है कि विदर्भ को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया जाना चाहिए। कुछ वर्ष पहले, जब छत्तीसगढ़ बना, उस वक्त छत्तीसगढ़ के लोग कहा करते थे कि छत्तीसगढ़ और विदर्भ एक-एक राज्य बन जाना चाहिए। जबकि विदर्भ के बारे में तो दोनों सदनों में ठहराव भी हुआ था। मगर पिछली गवर्नमेंट ने, क्योंकि उनका शिव सेना से विरोध था, यह पोलिटिकल डिसीजन लिया और इसलिए वह राज्य नहीं बन सका। किन्तु आज हमारी गुजारिश है सरकार से, वहां के लोगों की गुजारिश है कि हमको हमारे हाल पर छोड़ दीजिए।

मेरे दर्द को मैं महसूस करता हूं, तेरी दवा की जरूरत नहीं
हर वक्त कातिलाना मेरी मुहब्बत को ठुकरा न।

अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर आपने विदर्भ के बारे में, उसकी उन्नति के बारे में, वहां के लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का विचार नहीं किया, तो फिर क्या होगा, यह ईश्वर ही जानता है।

मैं आदरणीय मेघे साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने विदर्भ की बात यहां उठाई। हमें ऐसा कहने का मौका नहीं मिलना चाहिए कि -

अपने घर में मैं बेघर हो गया,
अपनी ही महफिल में बेगाना हो गया।

SHRI R.S. GAVAI (Maharashtra): Mr. Vice Chairman, Sir, at the outset, I express my thanks that you have granted me the time to speak on a vital subject. But, prior to this, Sir, I want to know from you -- this

debate is of paramount value and importance -- the name of the Minister who is going to reply to the debate. Sir, this subject being of a peculiar nature, I want to draw your attention and know the name of the hon. Minister who is supposed to give the reply to the debate.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI M.V. RAJASEKHARAN): I am present here.

SHRI R.S. GAVAI: Certainly, no doubt, you are here. It is a collective responsibility. Sir, I know you are present here. The hon. Cabinet Minister for Social Justice and Empowerment is here. They are there to take note of the points. But I want to draw the attention of the Chair ...*(Interruptions)*... Exactly; that is why I want to know the name of the hon. Minister who has been assigned this job. ...*(Interruptions)*... I have no objection because the hon. Minister for Social Justice and Empowerment is here. The hon. Minister of State is here. But may I know the name of the hon. Minister who is going to reply to the debate?

SHRI M.V. RAJASEKHARAN: I will reply.

SHRI R.S. GAVAI: Okay. Thank you very much. I just wanted to clarify this point because a faithful, sincere, purposeful, meaningful, and productive notes have to be taken and reply has to be given on those points. That is the purpose.

Now, Sir, I must express my thanks to the hon. Member, Shri Datta Meghe, who is now presiding over, he is on the panel of the Vice-Chairmen. He moved a Resolution of vital importance not only for Vidarbha, keeping in view the nature of injustice done to Vidarbha, but also to the other smaller regions within the States elsewhere. Sir, when you were moving the Resolution, I paid personal attention towards it. You dealt with it elaborately. You know the facts, but the hon. Minister Shri Rajasekharan, who is going to reply, should also know the facts. Firstly, what was the prior situation of Vidarbha before it merged into Maharashtra and became a Sanyukta Maharashtra? We were in Madhya Pradesh together having Nagpur as the capital. Two stalwart people of Madhya Pradesh were there; Pandit Ravishankar Shukla, and Shri Bhargav Prasad Mishra. And recently, the man who died, Shri P.K. Deshmukh, was also a stalwart. They were all stalwarts. We are happy. Under the pretext of integration; State integration and language integration, there were demands that Vidarbha be merged with Sanyukta Maharashtra. There was a demand. You have mentioned in your speech and Mr. Darda also mentioned the language spirit, integrity of

language and a lot of agitation which went into it. You know, Sir, you are a good friend of mine, that as a student leader I participated in the agitation for the formation of the Sanyukta Vidarbha and went to jail. Why? It was for the integration of the whole State and not to allow disintegration. That was the reason. Ultimately, one fine day, prior to the formation of Maharashtra in 1960, the stalwart Chief Minister of Maharashtra Shri Yashwantrao Chavan, who happened to be the Defence Minister in the Government of India, made a declaration and that declaration is known as the Nagpur Pact. That declaration is still alive today. It is still alive. I don't want to quote the whole declaration because that is a part of the history, written in the history also wherein it is mentioned, "the step-motherly treatment will not be given to Vidarbha. Equitable distribution of resources and administration will be given to Vidarbha. There will be a second capital in Vidarbha, because you got the first capital in Madhya Pradesh." Okay. Ornamental second capital is there. As mentioned by my friend, Shri Vijaybabu Darda that MLA's hostel is there, Assembly Hall is there. I think these are all ornamental things; you can justify that we have a holy monument. We do respect it, but that does not mean that you ignore our legitimate claim. So, Sir, the second era was from 1960-1984. What was that era? That was the era, as far as the State is concerned, without planning. There was only two-tier planning. One was the Central planning and another was the State planning. Whatever allocations were there from the Centre, they ought to be spent by the State. Whatever allocation was there from the Centre to Maharashtra, was being spent by the so-called stalwarts, leaders of the western Maharashtra, not Maharashtra. Whatever revenue and resources they got from the Centre, they spent only for western Maharashtra, and totally ignored Vidarbha. They deviated the spirit of the Nagpur Pact. That was the pious understanding among the leaders of the two regions. They totally exploited it. When the planning era started, it entered the Central Planning, State planning and district planning, and then we awoke. Then, this accumulated backlog, which was there prior to the Central, State and district planning, was already accumulated at the cost of Vidarbha. Therefore, we demanded a special provision in the Constitution which, Sir, you referred to in your earlier speech, that is article 372 A. There are normal articles in the Constitution. These are normal provisions. But the article 372 is an abnormal provision in the sense that if any State is ignoring, not giving adequate proportion/representation to the field of administration and every other field, then, this article comes. For that the power was given to the Governor of the respective State, such as,

earlier the power lied with the hon. Member of this House, Dr. Alexander, when he was the Governor. Now that power lies with the existing Governor of Maharashtra, Shri S.M. Krishna. For that, they formulated Dandekar Committee in 1984. I gave my evidence before the Dandekar Committee when I was Member of the Upper House, then, in Maharashtra Legislative Council.

Sir, a very logical and rational balance was drawn up by the economist, the learned economist, Dandekar. He submitted his report in 1994. What was the calculation? Sir, earlier in your speech, you have mentioned that it was to the tune of Rs. 6000 crores. All right. We are requesting the leadership of the Maharashtra, - I say deliberately -- the leadership of the Western Maharashtra, whom we call our elder brother, to whom we often request that we are your small brother, to treat us as your equal partner. We are requesting them not to give us the step-motherly treatment, treat us as your equal brother, equal sharer of the Administration. But they ignore, totally ignore. They have given it a deaf ear, a blind eye, and whatever backlog was estimated by the Dandekar Committee, has gone up to the tune of Rs. 25,000 crores. That is what you have demanded in your Resolution, a package of Rs. 25,000 crores. I think, you should not demand it. We, including, Mr. Vijay Darda, you and me, should not demand it. As far as the State Administration is concerned, we are not beggars We are not begging. We are not demanding anything else. We are demanding our rights. Our demand is for the cause of the greater integration of the Sanyukta Maharashtra. It is the demand of a man like me who was a student leader and who was arrested for the formation of the Sanyukta Maharashtra. This demand is in the interest of total integration of the State. We are treating them as our elder brother, but they ignore us. So, where is the question of begging and demanding comes? It is a matter of our right. We are asking for our right, not demanding. We are not requesting. ...*(Interruptions)*...

SHRI VIJAY J. DARDA: Sir, I have never said ...*(Interruptions)*...

SHRI R.S. GAVAI: No; no; I am complimenting you. Why do you take it seriously? It is a compliment to you. ...*(Interruptions)*...

SHRI VIJAY J. DARDA: Thank you.

SHRI R.S. GAVAI: I have complimented you and the Chair ...*(Interruptions)*... Forget that, like you, I am not an expert in English language. I am a grass root man. ...*(Interruptions)*... Forget that, I am

complimenting them. It is an addition. We are asserting our right. Am I right? For that, we are asserting our right. And what happened? Sir, despite the provisions made in our Constitution, they disobeyed it. Besides that it was obligatory on the part of the State, the Government, the Governor, they disobeyed it. Sir, I am not using harsh words, but if we start asserting in the House that this is improper on the part of the Government that they are not obeying the Constitution and that it is the failure of the Constitution, what would be the consequences? What would you do? But we neither went to that level nor we want to go to that level. Whatever recommendation was made by a stalwart like Dr. P.C. Alexander, when he was the Governor, was thrown into the dustbin. Sir, you can see this is the respect for the provisions of the Constitution. Is this the respect to the mandate given by the Governor, who is the Head of the State? The provisions of the Constitution are being disobeyed, not followed. Now, the backlog has accumulated because it started accumulating right from 1960. This has been going on right from 1960 onwards. So, it is the accumulated backlog of 46 years. Instead of helping us, now they are demanding Rs. 2,000 crore for Krishnapuri. They demonstrated in front of the Legislature demanding the clearance of the backlog. Their so-called western and ruling leaders participated in the agitation. You have used harsh language and so has Shri Vijay Darda. Now, I am compelled to say that if, within a certain time limit, justice is not done to Vidharbha, I may also join the agitation for separation of Vidharbha, because we believe in integration. But you don't believe in integration, you believe in disintegration and injustice and you are ignoring us...*(Interruptions)*... By 'you' I mean the Maharashtra Government, neither the Presiding Officer, nor my dear friend, Shri Sharad Joshi. 'You' means the Maharashtra Government. This may send a proper signal from this House that we have equal rights. Rajya Sabha is the place, which is more empowered to deal with the relations between the States and the Centre, more than the Lok Sabha. So, the mandate from the Rajya Sabha is a valid one. Let the God bless them with wisdom so that they come forward and see to it that within a certain time limit, they do justice to Vidharbha. That is the first point.

Sir, I would request the Governor, Shri S.M. Krishna, to follow the path of Dr. Alexander and compel the present Government not to disobey the Constitution.

With these words, Sir, I thank you for the time you have given me, and I conclude my speech.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DATTA MEGHE): Mr. Minister ...(*Interruptions*)... Shri Sharad Anantrao Joshi.

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI (Maharashtra): Thank you very much, Mr. Vice-Chairman Sir. It is the first time in this House that I see an honorable member having moved a Resolution goes to occupy the Chair. I think that augurs well for Vidharbha!

Sir, I stand here to support the Resolution that you have tabled, but not without some riders. I disagree with the ground-level speech that Hon'ble Shri Gavai has made, and Mr. Gavai made a number of points. You have been associated with the Vidharbha Movement; Shri Vijay Darda has been associated with that Movement. The picture that you tried to draw that *Vidharbhites* were happy in Madhya Pradesh and they became unhappy to be part of Maharashtra, is historically just not true. I can show that the Movement for a separate Vidharbha, for their separation from Madhya Pradesh, had started even before the SRC Report came on the scene. That is one historical inaccuracy. Secondly, I would like to point out that while the Resolution talks of specific measures, the measures have not been specified and this might result in a sort of vagueness, where nothing can be done. We were already fooled once by the amendment to the Constitution -- 472 etc. There might be another gimmick and the Vidharbites might be fooled once again.

Sir, I would like to put the history straight. After the SRC and the demand for a Sanyukta Maharashtra, including Bombay -- it was 'Bombay' at that time -- there was the formation of a bilingual State. When the bilingual State became unacceptable, both to the people of Gujarat as well as Maharashtra, agitations continued in both the States. It was finally clear to everybody -- Pt. Nehru was the Prime Minister at that time -- that two separate States will have to be formed, Maharashtra and Gujarat. The problem was that the Maharashtra minus Gujarat, or the bilingual State minus Gujarat, would have been a strongly opposition State. The Samyunkta Maharashtra Movement had already shown that the Congress had lost most of the seats there in the Assembly and it was clear that unless some political counter-balancing was done, Maharashtra and Mumbai would be out of the control of the Congress Party, and, therefore, it was the Congress leadership which prevailed upon the then Vidarbha leadership to join Maharashtra. The villains of the peace, were not only Maharashtra and Yashwantrao Chavan, who are villains even otherwise, but, in this particular context, I would like to make it very clear that it is the Vidarbha leadership

which joined hands with the Congress leadership in order to preserve Congress rule in Maharashtra and Mumbai.

Sir, another inaccuracy is that Nagpur Pact was not a declaration. I have with me even a photocopy of the agreement which was signed jointly by all the then leaders of Vidarbha which included Aney and the leaders of Western Maharashtra. So, this was not a unilateral declaration by Y.B. Chavan, as Mr. Gavai would like us to believe.

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

Further, Sir, Nagpur Pact was there and it was drafted in days when everybody believed in socialism. At that time, everybody thought that if Vidarbha was to develop, then the funds had to come from the Budget of the united Maharashtra, including Vidarbha, and that was the only way in which Vidarbha could advance. That is why, in the Nagpur Pact, there was provision for equitable share of jobs, equitable funds, equitable investment and sort of parity of distribution of all resources that were available to Maharashtra. Unfortunately, Sir, in 1991, when our present Prime Minister, and the then Finance Minister, brought the socialism down from pedestal, the State Budget ceased to have the kind of importance that it used to have in the socialist days. Then, the Nagpur Pact became a dead letter because parity of distribution of jobs, parity of distribution of funds, etc., ceased to have any importance. The real exploitation of the farmers, real exploitation of Vidarbha - this is one area where I join hands with Shri Datta Meghe, Shri R.S. Gavai, and Shri Vijay Darda. Vidarbha is being exploited but not as Shri Gavai or Shri Datta Megha would like us to believe. It was not by the budgetary backlog but there was a separate and different *modus operandi* for the exploitation of Vidarbha. What was that operation? Having handed over Vidarbha in the interest of the Congress Party to Maharashtra, and now that the Vidarbha people are once again asking for an independent Vidarbha separate from Maharashtra, these three people, prominent speakers for this Resolution who all belong to the Party which opposed Vidarbha, are now trying to find a safe face-saving device by saying that some kind of action should be taken in order to ...*(Interruptions)*... I am not yielding.

SHRI VIJAY J. DARDA: Sir, this is not true.

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: I am not yielding. I know this because I have heard discussions on this subject. The party, which won Lok Sabha seats in Vidarbha - 11 out of 12 seats - is the Party, is the

4.00 P.M.

alliance led by the Party which accepted independent Vidarbha, and only one person, who opposed Vidarbha, was elected from the whole of Vidarbha. These are facts. You cannot deny them. The point is this : these people, all from the ruling UPA, are now trying to face-lift the whole demand by presenting, by using strong words, but very cunningly, stopping short of the demand for independent Vidarbha which ought to have been there. Now, what is the real source of exploitation and what is wrong about Vidarbha joining Maharashtra? Sir, I would say that there is a distinct difference between the character of Vidarbha and Maharashtra. I am saying this economically speaking. I am not talking of the cultural aspects and the historical aspects. Even there, the fact remains that in the whole history, Vidarbha was never a part of Maharashtra. And, when we joined hands, we joined two things which were not joinable, which could not come together. Maharashtra or the Western Maharashtra along with Mumbai was the industrially advanced area and Vidarbha is essentially a region that produces raw materials. Vidarbha is known for its cotton - the white gold. Vidarbha is known for its oranges. Vidarbha has abundant sources of coal, iron and manganese. Vidarbha produces most of the electricity that is consumed by Maharashtra. So, Vidarbha is a colony that produces raw materials and when it joined hands with the industrially advanced area, the terms of trade were bound to go against Vidarbha. That is the crux of exploitation of Vidarbha, not the budgetary backlog. The backlog is not, as Mr. Gavai would like us to believe, just Rs. 6,000 crores. We made a calculation that the farmers of Vidarbha on account of the cotton monopoly scheme over the last 30 years, lost Rs. 33,000 crore, and, compared to that your Rs. 6,000 crore of backlog pales into insignificance.

Sir, the monopoly procurement scheme was accepted by the Congress leaders of Vidarbha although they knew that the beneficiaries are going to be textile mills of Mumbai. They knew that because of this cotton monopoly scheme, cotton is produced here but even the handloom weavers are in Maharashtra. But all of them had stood for the continuation of the monopoly scheme for their personal benefit and personal interest. The same thing happened about the use of coal. The terms of trade for exchange of coal, exchange of cotton, exchange of minerals and all these raw materials were put under a Government control system that always worked to the disadvantage of the Vidarbha people. And this can be

changed only in one way. If you appoint one more committee, one more body to do justice to Vidarbha, then, the same thing is going to happen what we see happen under article 372. The important thing is that Vidarbha has to be separated because unless the Government is separate, no Government in Maharashtra, whichever party it might belong to, would do justice to Vidarbha, and, basically, that is the problem of Vidarbha.

I tried to table a Bill for separation of Vidarbha here but the President did not give his assent for it to be tabled before the Rajya Sabha. Fighting shy of that, I think, Datta Meghe, the astute, practical person that he is, has proposed a step forward, and, went, at least, one step forward, rather than not moving ahead at all. In that sense, I am here to support the Resolution. But, I would like the Minister to take note of the fact that he will have to go much beyond the wording of the Resolution, and, not just provide adequate financial assistance to implement the Special Action Plan etc. It will have to be properly spelt out if you want the people of Vidarbha to believe that. Sir, our hands and our mouth have been burnt quite often. The Congress leaders come forward, whenever they are in difficulty or whenever they are in search of higher posts, they start demanding Vidarbha. We know a very recent incident where two Central leaders started indefinite hunger strike in Nagpur demanding Vidarbha. Unfortunately, their health collapsed within seven minutes of starting the fast and they withdrew the strike. This is the kind of leadership Vidarbha has and if that is the spirit in which we are trying to present this Resolution, it will serve no good. You have to really believe that we need to have a separate Vidarbha. Sir, I come from Western Maharashtra; I do not come from Vidarbha. Luckily, the spirit, the humanity and the openness of the people of Vidarbha is clear from the fact that they have put much more trust as regards the formation of separate State of Vidarbha in me rather than the other leaders who have spoken.

So, I support the Resolution and I would request Shri Datta Meghe to take care that it is not the vagueness in this Resolution that will be the cause for another deception because this time Vidarbha people would find it difficult to accept a fresh round of deception. I thank you for having given me the opportunity to speak on this issue.

---

* Not recorded.

SHRI VIJAY J. DARDA: Sir, Joshiji is an expert in the field of agriculture and is having a very big movement in this country and Vidarbha is also one of those parts. But whatever he has said about the Congress leadership is not true. The Congress leadership never opposed the demand of Vidarbha. Even our beloved late Prime Minister, Shri Rajivji also appointed a Committee, the Sangma Committee, before he left us. Rest, whatever economics he has narrated before this House, I agree with him on many aspects. But, the political point which he has brought in this ...(*Interruptions*)... That does not hurt me, because, on certain issues, we have to give up. Thank you very much.

SHRI M.V. RAJASEKHARAN : Mr. Deputy Chairman, Sir, I am indeed very grateful to our hon. senior Member of this House, Shri Datta Meghe*ji*, who has moved this Resolution as well as other hon. Members such as Dr. Gyan Prakash*ji*, Shri Vijay Darda*ji*, Shri Gava*ji*, Shri Sharad Josh*ji*, who have participated in this discussion highlighting...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Joshi, you used the word *That is an unparliamentary word. I am removing it.

SHRI DATTA MEGHE: He can withdraw it, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Are you withdrawing it?

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: Sir, you can use another synonym for it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no, because there is a ruling, it will have to be removed. I think, it will be better if you withdraw it.

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: Okay, Sir, I withdraw it.

SHRI M.V. RAJASEKHARAN: So, Sir, our hon. Members, who have participated in this discussion, have highlighted a number of issues connected with the speedier development of Vidarbha region in Maharashtra. Now, appreciating the issues, which have been raised, I would like to share with the hon. Members and this House the steps which have already been initiated by the Central Government as well as the State Government. Sir, there are two demands in the Resolution tabled by the hon. Member. One, a Special Action Plan for the development of Vidarbha

---

* Not recorded.

region of Maharashtra; and, number two, provision of adequate financial assistance to implement the Special Action Plan. A number of issues they have raised in this. Sir, as this House is aware, the Central Government provides most of the Plan assistance to the State Governments as block grants and block loans. It is the responsibility of the State Government to formulate the required schemes and programmes, action plans, etc., for redressing the various problems faced by the States and to allocate the available resources in such a way that those problems are effectively addressed. However, Sir, the Central Government, in general, and the Planning Commission in particular, have been making various efforts for addressing the special development needs of different States and regions, including the Vidrabha region. I would briefly dwell on some of the most important measures the Central Government has already taken in this regard. The Central Government has already set up the three statutory Development Boards in Maharashtra, one each for the regions of Vidarbha, Marathwada and rest of Maharashtra, under Article 372(2) of the Constitution which has been referred to by our friends while participating in the discussion. These Boards are functioning since 1994. Under this arrangement, the Governor of the State has special powers to earmark Plan funds with the objective of minimising regional disparities. This point has also been considered and this has been referred to during the discussion. Plan funds are being earmarked by the Governor specifically for the removal of regional imbalances.

The Governor has also institutionalised the involvement of Development Boards in the State Planning process. The chairmen of the Development Boards have been appointed as *ex officio* Members of the State Planning Board. The Members of the Boards have been appointed as *ex officio* Members on the District Planning Committees which prepare the District Plan. These arrangements are sufficient to ensure adequate flow of funds, having regard to the overall resources availability in the State for addressing the various development needs of the region.

Sir, the Government of Maharashtra has recently announced a package to provide relief to the farmers affected by the indebtedness in the Vidarbha region. As per this package, which is applicable to the six districts of Vidarbha, namely, Yeotmal, Amravati, Akola, Buldana, Washim, and Wardha, farmers would not be required to repay the loans and interest thereon advanced to them by non-licensed moneylenders. All outstanding crop loans up to a limit of Rs.25,000 will be rescheduled in these districts.

The interest on these outstanding loans will be written off, and the State Government will pay Rs. 61 crore to the concerned cooperative bank for this purpose. The principal amount of Rs.203 crore will be rescheduled over a period of next five years. There will be a moratorium on the repayment for the first two years, and then the principal amount will have to be paid in three equal instalments. These measures, I am sure, Sir, will go a long way in providing immediate relief to the people of Vidarbha region.

The Central Government has formulated a special programme called the "Rashtriya Sam Vikas Yojana" for the development of selected backward districts in the country, which have been identified on the basis of specific criteria, namely, the value of output per agriculture worker, the agriculture wage rate, and the percentage of SC & ST population of the district. Under this programme, Sir, Grant-in-Aid at the rate of Rs.15 crore per year, for three years, is being provided to the selected districts for addressing the problems of low agricultural productivity and unemployment, and to fill critical gap in physical and social infrastructure. Therefore, Sir, the nine districts in the States including four districts of Vidarbha region, namely, Bhandara, Gondia, Chandrapur, and Gadchiroli, have been included under the RSVY Programme. And a total amount of Rs. 127.50 crore has so far been released to the State Government under the Rashtriya Sam Vikas Yojana.

During the Annual Plan of 2006-07, Sir, discussions held on February 8, 2006, it was explained to the Government of Maharashtra by the Planning Commission that there was no separate window in the Planning Commission to provide substantial amount as projected by the State Government to address the problem of regional imbalance through statutory Regional Development Boards. However, Sir, the Planning Commission has agreed to provide Rs. 75 crore as additional Central Assistance for the backward regions, and Rs. 30 crore as higher grant under the Backward Regions' Grant Fund by virtue of addition of three districts, namely, Aurangabad, Yavtmal, and Amravati to the existing nine backward districts in Maharashtra.

SHRI VIJAY J. DARDA: Sir,..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let him complete.

SHRI VIJAY J. DARDA: Sir, this all we know. These facts we all know. We see these facts every day. Basically, our subject was something different. We want reply on that subject. We are expecting this from the

Ministry ...*(Interruptions)*... I am expecting this from the hon. Minister ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is giving all the facts.

श्री विजय जे. दर्डा : सर, वे जो लिख कर लाए हैं, वह तो हम रोज पढ़ते हैं। तेरी लिखावट रोज बदल जाती है, खुशबूओं के दर पर।

SHRI M.V. RAJASEKHARAN: Sir, I know that Darda*ji* is a very active Member and an active parliamentarian of this House. I certainly appreciate...*(Interruptions)*...

SHRI R.S. GAVAI: I request the hon. Minister to please yield for one minute. I am only expecting a clear-cut reply from the Minister that instructions be given, as per the provision of the Constitution, to the Governor so that instructions already given are strictly implemented by the Maharashtra Government. If that assurance is given, then, I will be satisfied.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He wants assurance on the orders which the Governor has already passed. Why the State Government has not implemented the Governor's order under article 372? Is it right?

SHRI VIJAY J. DARDA: Yes, Sir, that is what we want. जो गवर्नर साहब ने बोला है, आप उतना इम्प्लीमेंट करवा दीजिए।

श्री उपसभापति : मैं आप की ही बात कर रहा हूं।

SHRI M.V. RAJASEKHARAN: Sir, the hon. Member has brought this particular point to our notice and certainly we would look into that matter. Let me assure you that we, the Central Government, would be most happy to do anything to see that the imbalance in every region is set right. Let me assure you.

SHRI VIJAY J. DARDA: Will he categorically assure us that whatever directives the Governor has given will be implemented by the Government? 'Yes' or 'no'. I want reply in 'yes' or 'no'.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI SURESH PACHOURI): Sir, please give him the chance so that he finishes.

श्री उपसभापति : वह बोल रहे हैं और डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि गवर्नमेंट उस क्षेत्र के लिए क्या कर रही है। उस के बाद उस पर आएंगे।

श्री दत्ता मेघे : उस से कुछ होने वाला नहीं है।

श्री उपसभापति : वह आप को मालूम है? The whole House should know.

SHRI M.V. RAJASEKHARAN: Sir, I can really understand the concern of our hon. Members coming from this region. Sir, let me also bring to their notice, through you, the Prime Minister is already seized of the matter. He has already assured that necessary steps are going to be taken. This is number one. Now, as a consequence of the Prime Minister's intervention, a Committee has already been constituted and the Committee is right now there in the region. In fact, Sir, those members who could have been present here, could not be present because they are still there in the area. And I was about to share this information with you.

SHRI SURESH PACHOURI: Sir, the fact finding team was constituted on March 2, 2006.

SHRI M.V. RAJASEKHARAN: Sir, they have already gone. They are already there. They will be back. ...*(Interruptions)*...

SHRI VIJAY J. DARDA: Please repeat again what you said?

SHRI M.V. RAJASEKHARAN: Sir, as I said, the Prime Minister is seized of this matter. The Prime Minister has assured, necessary steps would be taken. Now, as a consequence of the assurance, the Prime Minister has constituted a Committee to look into the imbalances and the problems which that region is facing. And right now, Sir, that Committee has gone there. They are going round the region; they would come back and submit the report. So, I am sure, Sir, the hon. Member would be very happy to know about this.

SHRI V. HANUMANTHA RAO (Andhra Pradesh): The problems are same in the Telengana region also.

श्री उपसभापति : अभी तेलंगाना का प्रॉब्लम नहीं आया है। ...**(व्यवधान)**...

SHRI VIJAY J. DARDA: Sir, we are very thankful to the hon. Prime Minister for this step. Again, I would like to know whether the State Government will implement the Governor's assurance and his directive.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dardaji, let him complete. उसके बाद कुछ क्लैरीफिकेशन पूछना है, तो पूछिए।

SHRI M.V. RAJASEKHARAN: Sir, as far as the concerns of other Members coming from other regions are concerned, they would be happy to know that our UPA Government, under the great leadership of our Prime Minister, has already taken a number of steps including setting up a Backward Region Grant Fund with an allocation of Rs.5,000 crores every year. Sir, now, the details are being worked out and they would be happy that they would get full benefit out of that....*(Interruptions)*.... Sir, I can understand the concern of the hon. Member, but, at the same time, they must have patience. But, this would take some time to work it out and the benefit that has to be paid ...*(Interruptions)*...

SHRI VIJAY J. DARDA: Sir, how will this be worked out and how will this benefit reach? Where will it go?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. दर्डा जी, अभी मिनिस्टर साहब को बहुत कुछ पढ़ना है। उसके बाद आप सब समझ जाएँगे। ...**(व्यवधान)**... आप इतना जल्दी कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

SHRI GIREESH KUMAR SANGHI (Andhra Pradesh): Earlier also, 6-point formula was announced, which was not implemented. Like this, several Committees are formed, and several things are happening. But, the backward area is remaining backward. Everybody has concern for that.

SHRI M.V. RAJASEKHARAN: Sir, let me say one thing. Though the Centre has the overall responsibility, the primary responsibility rests with the States. So, the State Government has to come out with a proper formula.

SHRI VIJAY J. DARDA: Sir, if this is the responsibility of the State, why are we discussing this issue here?

SHRI M.V. RAJASEKHARAN: As far as the allocation of resources is concerned, since the planning is done by the Centre ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let the Minister complete his reply. Don't interrupt the Minister. आप बात कर रहे हैं।...**(व्यवधान)**... उसके बाद आपको रिप्लाई देना है। ...**(व्यवधान)**...

SHRI M.V. RAJASEKHARAN: Sir, anyway, as I said in the beginning, I certainly understand their concern. But, they have to bear with us that all these things do take some time, and let me assure you that justice would certainly be done under the UPA Government, and I have no doubt about it. So, Sir, as I said, in addition to the formula based on normal Central assistance to the State Plan, the Planning Commission has been

providing substantial funds every year as additional Central assistance to the Government of Maharashtra for the State Special Priority Schemes. The amount allocated to the Government of Maharashtra as additional Central assistance for the Special Priority Schemes during the Annual Plans of 2003-04, 2004-05 and 2005-06 is Rs. 63.33 crores, Rs. 154.46 crores and Rs. 160 crores respectively. It is up to the State, as I said, to utilise the said amount...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Dutta Meghe, before you could reply, श्री शरद जोशी जी कुछ पूछना चाहते हैं। ...(व्यवधान)... Whatever the Minister is saying, you can react to that while you speak.

SHRI M.V. RAJASEKHARAN: It is up to the State, as I said, to utilise the said amount for its priority, particularly, so far as the projects are concerned, including the development of the Vidarbha region. Therefore, they can see that the necessary systems and arrangements have already been placed in position, and I must assure that the UPA Government will certainly do everything to set right the imbalances in different backward regions, including Vidarbha. Let me assure that much. Therefore, the Central Government and the State Government have already taken certain steps and various measures, including the provision of additional resources, to address the issues of rural indebtedness and backwardness in the Vidarbha region. In view of this, I would request the hon. Member, Shri Datta Megheji, to withdraw his Resolution.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Datta Meghe, before you could speak, Mr. Sharad Anantrao Joshi wants to say something.

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: I wanted to help the Minister. Article 372A of the Constitution presumes that the normal democratic Legislative Assembly is not functioning in an equitable manner, and therefore, the Governor has been empowered to take certain action, which is really something like the State Government being superseded for particular purposes, without being abrogated. So, the Governor has been given powers for this purpose, and if the Governor decides something in the interest of Vidarbha, and the State Government does not accept it, then, there is a case for removal of the State Government. The Minister talks of the UPA Government at the Centre. There is a UPA Government in the State. It is only Vidarbha which voted 11 MPs from Vidarbha.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have already said that.

SHRI R.S. GAVAI: Sir, I am on a point of order. We are not with Mr. Joshi. We want justice. Some doubts have been created by the hon. Minister as far as the participation of the hon. Members is concerned, and I want to clear those doubts. I do not call it an aspersion. My point of order is that the earlier Governor, Dr. P.C. Alexander, who is presently the Member of this House, had already issued certain instructions to the Government of Maharashtra, which have not been implemented.

Sir, number two, as per my knowledge,--because we have started a Health Group for Vidharba in Amravati, and I am member of that Group--the present Governor, Mr. Krishna, has now issued a categorical instruction to the Government. Whatever be the backlog of the Vidharba region, I want to know whether that is being implemented by the Government of Maharashtra.

Number three is concerning the clarification sought by the hon. Member who has just spoken. We are very active Members. Prior to the introduction of the scheme of the Planning Commission in Vidharba, we submitted a representation to the hon. Prime Minister, to the Leader of the Congress Party and Advisory Chairman of UPA, Sonia Gandhiji and also to the Rashtrapatiji, wherein we had categorically mentioned that we had to participate only in the House, and that we won't be active in the rest of the part. That should be deleted. These are the two problems. That is my intervention, Sir.

SHRI VIJAY J. DARDA : Sir, I will take just one minute. Sir, through you, I would like to tell the hon. Minister that the state of affairs is not very good. We have all represented to you; we are not in a position to do anything; we cannot do anything; so, please appoint a Governor. So, we have given all our powers to the Governor because we, the elected representatives, could not do it. We could not give justice to the people. So, we have given all our powers to the Governor. ...*(Interruptions)*... Ultimately, it is the people; the Government could not do. So, we are giving. Now, whatever be the decision, the Governors are the doers. Hon. Governor is the doer. That also we are not going to implement.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is a very simple point.

SHRI VIJAY J. DARDA: Sir, that is a very simple issue. सर, एक बात कहना चाहूंगा कि यह जो भूख है, भूख की कोई जात नहीं होती। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Minister wants to implement it. Since he is also from Maharashtra, he wants to implement it.

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN): May I make a request, Sir? The hon. Member who is the Mover of the Resolution should thank the Prime Minister. He has promptly listened to the representatives of the Vidharba region when they met him, and he has constituted a Committee under the Chairmanship of Advisor, Planning Commission. It is a 12-member Committee, and the Committee, as the hon. Minister said, is in Vidharba today. They are going to tour Vidharba in the next three days. I think, all the Members from the Vidharba region could take the opportunity to go and meet its Members, whether in Delhi or in Nagpur. I am sure, their concerns will be addressed.

श्री दत्ता मेघे : उपसभापति जी, हमारे पृथ्वीराज चव्हाण जी ने जो भी बातें कही हैं, हम उनका, प्राइम-मिनिस्टर साहब का अभिनंदन करते हैं, लेकिन हमें यह दुख है कि पश्चिमी महाराष्ट्र के नेता, जहां से वे भी आए हैं, मेरे भी नेता वहां हैं, ...**(व्यवधान)**... सर, मेरा नेता भी पश्चिमी महाराष्ट्र का है, मेरा खुद का नेता, 50 साल से हम देख रहे हैं जो भी न्याय की बात होती है, जो पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने कही या यशवंत राव जी ने कही, जो फैसिलिटीज हमें मिलनी चाहिए थीं, वे नहीं मिलीं। इसलिए आपने मंडल बनाया, उसके लिए कंस्टीट्यूशन मे 372 का प्रोविजन करके गवर्नर को पावर दीं, उनको पावर और मिलीं और दो साल पहले का जो हमारा मेन इश्यू है, आपकी जो स्कीम हैं, वे बराबर हैं, आप यहां से पैसा भेजते हैं, लेकिन उसका 80 परसेंट पैसा पश्चिमी महाराष्ट्र को जाता है, हमारा जो पैसा है, 21 परसेंट जो हमारी पापुलेशन है, उसके अनुसार वह पैसा हमको नहीं मिलता है। मैं खुलेआम यह बात बोलता हूँ, मैंने अभी आंकड़ेवार दिया भी है, उसे आप देखिए, हर बात में देखिए। कहने का मतलब यह है कि जो गवर्नर ने बहुत सोच-समझ कर, दोनों गवर्नर ने, अलेक्जेन्डर साहब ने भी सबकी बात सुनी, पूरा रिकार्ड देखा और एक बार रिकमंड किया कि एरिगेशन में, इस इस स्कीम में इतने इतने रुपए और ये ये प्रोजेक्ट दो। यह डायरेक्ट लिखने के बाद भी दो साल तक हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। पिछले वक्त हमारी खासदार की मीटिंग में भी मुख्य मंत्री जी ने कबूल किया कि हां, यह बात सही है। सांसदों की मीटिंग में उन्होंने, मुख्य मंत्री जी ने एक महीना पहले कबूल किया कि हम नहीं दे पा रहे हैं। तो यह जो बात हो रही है, पैसा तो यहां से जाता है ...**(व्यवधान)**...

श्री दीपांकर मुखर्जी (पश्चिमी बंगाल): प्राइम मिनिस्टर अच्छा काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर अच्छा काम कर रहे हैं।

श्री दत्ता मेघे : आप कृपया मुझे बोलने दीजिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई बात ही नहीं है, सोनिया गांधी जी के बारे में बात नहीं है, हमारी स्टेट में जो लोग बैठे हैं पश्चिमी महाराष्ट्र के, वे लोग नहीं दे रहे। इसलिए मंत्री जी, हम इतनी मांग कर रहे हैं कि धारा 371(2) के अंतर्गत जो गवर्नर को अधिकार दिए गए हैं, जो गवर्नर ने रिकमेंड किया राज्य

सरकार को, वह पूरा करा दीजिए। हम अपने वर्तमान गवर्नर से भी जाकर मिले और उन्होंने भी कहा कि जो कांस्टिट्यूशनल पावर है, वह देने के ...(व्यवधान)...

श्री दीपांकर मुखर्जी : सर, केवल महाराष्ट्र के ही लोग बोल रहे हैं, यह क्या हो रहा है।

श्री उपसभापति : यह प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस है और रेज़ोल्यूशन विदर्भ, महाराष्ट्र पर है, उस पर यह चर्चा हो रही है। यह पूरे महाराष्ट्र का ईश्यु है।

श्री दत्ता मेघे : सर, आज के ईश्यु की जो मेन चीज़ है, वह यह है कि पिछले 50 साल से हमको जो मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला है और इसे गवर्नर ने भी ऐक्सैप्ट किया है और वे कह रहे हैं कि जो इनका हिस्सा है यह इन्हें दो। तो जो कांस्टिट्यूशन में प्रोविजन है, वह हमें नहीं मिल रहा है। कमेटी आएगी, कमेटी बोलेगी, मिलेंगे, लेकिन जो पैसा हमारा बकाया है और जितना गवर्नर बोलते हैं, उतना तो दो। यह बहुत सिम्पल सी बात है, यह हम नहीं बोल रहे, विदर्भ की जनता नहीं बोल रही, यह महाराष्ट्र के गवर्नर बोल रहे हैं, दोनों गवर्नर बोल रहे हैं।

श्री उपसभापति : दत्ता मेघे जी, आपके लिए सिम्पल सी बात है, लेकिन उनके लिए मुश्किल बात है।

श्री दत्ता मेघे : पृथ्वीराज चव्हाण जी हमारे यहां के नेता है, इनसे हमारी अपेक्षा है और इनको मालूम है कि कैसी-कैसी गल्तियां हुई हैं, हमसे ज्यादा इनको मालूम है। हम यही चाहते हैं कि कम से कम प्राइम मिनिस्टर साहब के ध्यान में यह बात लाइए और हमें न्याय देने की कोशिश कीजिए।

श्री उपसभापति : यह तो उन्होंने बोल दिया है। उन्होंने ऐश्योरेंस दिया है।

श्री दत्ता मेघे : इतना आप कर दे। जो गवर्नर के आदेश हैं, उनका पालन राज्य सरकार करे, यह बात आप प्राइम मिनिस्टर से कहें और हमको वे न्याय दिलाएं, यह हमारी मांग है। मैं तो रेज़ोल्यूशन विदड्रा करने ही वाला हूं, लेकिन आप इतना तो आश्वासन दीजिए, जो सही बात है।

SHRI M.V. RAJASEKHARAN: Sir, I am glad that the hon. Member, Datta Megheji, has agreed to withdraw the Resolution. As has already been pointed out, there is a Committee which has been constituted by the Prime Minister. The Prime Minister is seized of the matter. The Prime Minister is very eager to give justice to all the regions which are very backward. That is the reason why the Committee is constituted. Let the Committee come back and submit its Report. The Prime Minister will certainly look into it and appropriate action will be taken. So, I thank the Members for their active participation and suggestions.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Datta Meghe, are you withdrawing your Resolution?

श्री दत्ता मेघे : सर, मैं विदड्रा तो कर रहा हूं, लेकिन मैं मंत्री जी की रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं हूं।

SHRI VIJAY J. DARDA: Sir, I want to seek one clarification from the hon. Minister.

श्री उपसभापति : बैठिए, बैठिए। दर्डा जी, बैठिए।

SHRI VIJAY J. DARDA: Sir, I want to know from the hon. Minister whether the Committee which has already gone to Vidarbha is going to take cognisance of this point about the Governors also.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Definitely, it will take everything into cognisance. Why are you worried about it?

SHRI VIJAY J. DARDA: Is it going to take cognisance of that also?

SHRI M. V. RAJASEKHARAN: Sir, the Committee is going to take cognisance of much more things as it sees the real situation in the area.

SHRI JANARDHANA POOJARY (Karnataka) : Sir, the hon. Member has made one request that whatever points that they have raised have to be conveyed to the Prime Minister. The Government can do that. What is the difficulty?

श्री सुरेश पचौरी : आदरणीय उपसभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने विदर्भ के विकास को और वहां के पिछड़ेपन की पीड़ा को दृष्टिगत रखते हुए जो भावनाएं व्यक्त की हैं, उनसे हम प्रधानमंत्री जी को अवगत करा देंगे। जहां तक कमेटी का प्रश्न है, इसी भावना को सामने रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने इसे कमेटी को भेजा है, जैसा कि संबंधित मंत्री महोदय ने बताया है कि वह केवल एक पहलू पर ही विचार नहीं करेगी, अन्य अनेक बिन्दुओं पर भी विचार करेगी। कमेटी जब वहां से वापिस आएगी, वह अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री जी को प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री जी के मन में निश्चित रूप से दर्द है और यही कारण था कि पिछले विधान सभा चुनावों के वक्त प्रधानमंत्री जी ने विदर्भ क्षेत्र का समुचित तरीके से विकास हो सके, इसके लिए विशेष प्रयोजन करने की बात कही थी। और इसी तारतम्य में उन्होंने इस नई कमेटी का गठन किया है जो आज विदर्भ क्षेत्र का दौरा कर रही है। जैसे ही वह कमेटी आएगी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, हम आपकी भावनाओं से प्रधान मंत्री जी को तो अवगत कराएंगे ही साथ ही साथ कमेटी जो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, उस आधार पर विदर्भ के विकास को दृष्टिगत् रखते हुए और विदर्भ के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से समुचित कदम उठाए जाएंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Megheji, are you withdrawing the Resolution?

SHRI DATTA MEGHE: Yes, Sir.

The Resolution was, by leave, withdrawn.